उत्तर प्रदेश सरकार

2023-2024 के लिये

अनुपूरक अनुदानों की मांगें

(नवम्बर, 2023)

(जैसा कि विधान-मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयीं)

उत्तर प्रदेश सरकार

2023-2024 के लिये

अनुपूरक अनुदानों की मांगें

(नवम्बर, 2023)

वित्तीय वर्ष 2023–2024 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग
प्रस्तावनिक टिप्पणी

किसी वित्तीय वर्ष में व्यय किये जाने के लिये प्राधिकृत कोई धनराशि उस वर्ष के प्रयोजनों के लिये अपर्याप्त पायी जाने पर उस अतिरिक्त व्यय की प्राक्कलित धनराशि के लिये विधान मण्डल के समक्ष अनुपूरक अनुदान की मांग का प्रस्तुतिकरण संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार अभीष्ट है । व्यय की ऐसी नई मदों के सम्बन्ध में भी अनुपूरक अनुदान की मांग प्रस्तुत करनी होती है, जिनके लिए मूल आय–व्ययक में कोई व्यवस्था नहीं होती । अनुपूरक अनुदान की मांग की उस समय भी आवश्यकता होती है, जब सम्बन्धित व्यय के लिए धन उपलब्ध हो, पर व्यय नई मदों के लिए हो या मूल योजना में इतना महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया हो कि उसे विधान–मण्डल के सामने स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक हो । ऐसी मांग "प्रतीक मांग" कहलाती है जो प्रचलित वित्तीय व्यवस्था का एक स्वीकृत अंग है ।

2. वित्तीय वर्ष 2023–2024 की अनुपूरक अनुदान की मांग में, अनुदान के अन्तर्गत आय–व्ययक में व्यवस्थित धनराशि, अनुपूरक अनुदान की मांग की धनराशि, जिसकी अब आवश्यकता है तथा उससे सम्बन्धित संक्षिप्त टिप्पणियाँ भी सम्मिलित हैं । विनियोग लेखों के प्रयोजन के लिए लेखा शीर्षों के अनुसार सविस्तार विवरण भी अनुदानवार दिया गया है । अनुपूरक अनुदान की मांग मुख्यतया इसलिए की जा रही है कि आय–व्ययक में व्यवस्थित धनराशि, व्यय की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के सापेक्ष कम पड़ने की सम्भावना है । इनमें से कुछ नई मदों पर व्यय करने के लिए भी हैं जिनके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय–व्ययक में कोई व्यवस्था नहीं है । इसके अतिरिक्त अनुपूरक अनुदान की मांग में "उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि" से स्वीकृत किये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव भी सम्मिलित हैं, जिसका उल्लेख सम्बन्धित अनुदान के अन्तर्गत टिप्पणी में किया गया है । विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत मांगों का विवरण अगले पृष्ठों पर अनुसूची में दिया गया है ।

3. प्रस्तावित अनुपूरक मांग ₹ 2876067.38 लाख हैं, जिसमें राजस्व लेखा ₹ 1904639.11 लाख तथा पूंजी लेखा ₹ 971428.27 लाख है ।

4. *उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004* की धारा–6(2) तथा 6(5) के अधीन अपेक्षित विवरण पत्र भी इन माँगों के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है ।

अग्रहायण 08, शक संवत्, 1945
तद्नुसार
29 नवम्बर, 2023

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 की धारा 6(2) के अधीन अपेक्षित विवरण

अधिनियम की धारा 6(2) में निम्नवत् व्यवस्था है –

"वित्त विभाग का प्रभारी मंत्री प्रत्येक अर्द्ध वर्ष पर बजट से सम्बन्धित प्राप्तियों और व्यय के रूख, बजट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किये जाने वाले उपचारी उपायों का पुनर्विलोकन करेगा और ऐसे पुनर्विलोकनों के परिणाम को विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखेगा । पुनर्विलोकन रिपोर्ट ऐसे प्रपत्र में होगी जैसा विहित किया जाय ।"

महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराये गये वित्तीय वर्ष 2023–2024 की प्रथम छमाही के आँकड़ों के आधार पर वर्ष 2023–2024 की प्रथम छमाही के लिये पुनर्विलोकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है ।

वर्ष 2023–2024 की प्रथम छमाही हेतु पुनर्विलोकन रिपोर्ट –

(₹ करोड़ में)

मद	बजट अनुमान 2023–2024	महालेखाकार द्वारा पुस्तांकित आँकड़े 2023–2024 (30.09.2023 तक)	बजट अनुमानों के सापेक्ष प्रतिशत के रूप में
(1)	(2)	(3)	(4)
(अ) गैर उधार प्राप्तियाँ			
1 राज्य का स्वयं का कर	262634.00	89705.54	34.16
2 करेतर राजस्व	23790.77	4818.82	20.25
3 केन्द्रीय करों में राज्यांश	183237.59	81702.01	44.59
4 केन्द्र सरकार से अनुदान	101203.30	16964.70	16.76
कुल राजस्व प्राप्तियाँ (योग – 1, 2 , 3 एवं 4)	**570865.66**	**193191.07**	**33.84**
5 उधार एवं अग्रिम की वसूली	3312.18	554.42	16.74
कुल गैर उधार प्राप्तियाँ (योग – 1, 2 , 3, 4 एवं 5)	**574177.84**	**193745.49**	**33.74**
(ब) व्यय			
6 राजस्व व्यय	502354.01	187777.89	37.38
7 पूंजीगत परिव्यय	147492.29	42304.69	28.68
8 उधार एवं अग्रिम	9214.70	1390.03	15.08
9 ऋणों का प्रतिदान	31181.43	8440.20	27.07
कुल व्यय (योग – 6, 7, 8 एवं 9)	**690242.43**	**239912.82**	34.76
(स) राजस्व बचत	**68511.65**	**5413.17**	-------
(द) राजकोषीय घाटा	**116064.59**	**46167.33**	-------

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 की धारा-6(5) के अधीन अपेक्षित विवरण

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 की धारा-6(5) में निम्नलिखित प्रावधान है -

6(5) जब कभी एक या उससे अधिक अनुपूरक प्राक्कलन विधान मण्डल के सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे, राज्य सरकार चालू वर्ष के बजट लक्ष्यों और भावी वर्ष के लिए मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति के उद्देश्यों और लक्ष्यों के सम्बन्ध में अनुपूरक प्राक्कलन के राजकोषीय प्रभाव को पूर्णतः समाप्त करने के लिये व्यय की तत्सम कमी और / या राजस्व के सम्वर्द्धन को सूचित करने वाला विवरण भी संलग्न करेगी ।

प्रस्तुत अनुपूरक माँगों का कुल आकार ₹ 2876067.38 लाख है, जिसमें केन्द्रीय योजनाओं हेतु प्राप्त होने वाले केन्द्राँश की धनराशि ₹ 138697.01 लाख तथा समायोजन की धनराशि ₹ 50010.00 लाख को घटाने के उपरान्त समेकित निधि से होने वाले शुद्ध व्यय भार की धनराशि ₹ 2687360.37 लाख है । इस राशि का वित्त पोषण कर एवं करेत्तर राजस्व में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करके तथा अनुत्पादक व्यय में कमी करके किया जायेगा ।

अनुदान संख्या	विवरण	प्रभारी मंत्री		धनराशि (₹ लाख में) मतदेय	भारित	पृष्ठ संख्या
1	2	3		4	5	6
002	आवास विभाग	मुख्य मंत्री				1-2
			पूँजी	38142.00	...	
003	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	लघु उद्योग मंत्री	राजस्व	2000.00	...	3
005	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री	राजस्व	144.93	...	4
006	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री	राजस्व	100000.00	...	5-6
			पूँजी	510.00	...	
007	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	औद्योगिक विकास मंत्री	राजस्व	1082.12	...	7-9
			पूँजी	51887.00	...	
008	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)	औद्योगिक विकास मंत्री				10
			पूँजी	1300.00	...	
009	ऊर्जा विभाग	ऊर्जा मंत्री	राजस्व	646264.00	...	11-14
			पूँजी	363277.00	...	
010	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	मुख्य मंत्री	राजस्व	5402.00	...	15
011	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	कृषि मंत्री	राजस्व	2398.38	...	16-17
013	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	ग्राम्य विकास मंत्री	राजस्व	9868.99	3.51	18-19
014	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	मुख्य मंत्री	राजस्व	97983.42	...	20-21
015	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	पशुधन मंत्री	राजस्व	25510.00	...	22-23
			पूँजी	1500.00	...	
016	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	दुग्ध विकास मंत्री	राजस्व	2050.00	...	24-25
			पूँजी	5000.00	...	

अनुदान संख्या	विवरण	प्रभारी मंत्री		धनराशि (₹ लाख में) मतदेय	भारित	पृष्ठ संख्या
1	2	3		4	5	6
017	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	मत्स्य मंत्री	राजस्व	2520.00	...	26-27
018	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	मुख्य मंत्री	राजस्व	1100.00	...	28-29
			पूँजी	...	980.53	
022	खेल विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	5402.00	...	30-31
024	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	गन्ना एवं चीनी मंत्री				32-33
			पूँजी	55000.00	...	
026	गृह विभाग (पुलिस)	मुख्य मंत्री	राजस्व	17575.19	...	34-44
			पूँजी	29064.91	...	
030	गोपन विभाग(राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	मुख्य मंत्री	राजस्व	50.00	...	45
031	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	चिकित्सा शिक्षा मंत्री	राजस्व	65036.91	...	46-50
033	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	मुख्य मंत्री				51-52
			पूँजी	1075.00	...	
034	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	मुख्य मंत्री	राजस्व	1105.22	...	53-54
036	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री	राजस्व	500.00	...	55-56
			पूँजी	2127.72	...	
037	नगर विकास विभाग	नगर विकास मंत्री	राजस्व	101207.00	...	57-60
			पूँजी	5000.00	...	
038	नागरिक उड्डयन विभाग	मुख्य मंत्री				61
			पूँजी	90.00	...	

अनुदान संख्या	विवरण	प्रभारी मंत्री		धनराशि (₹ लाख में) मतदेय	भारित	पृष्ठ संख्या
1	2	3		4	5	6
040	नियोजन विभाग	मुख्य मंत्री				62-63
			पूँजी	41500.00	...	
042	न्याय विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	35759.50	...	64-66
			पूँजी	44.50	...	
043	परिवहन विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	3109.30	...	67-69
			पूँजी	10053.00	...	
044	पर्यटन विभाग	पर्यटन मंत्री	राजस्व	8800.00	...	70-71
			पूँजी	11000.00	...	
046	प्रशासनिक सुधार विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	186.80	...	72
047	प्राविधिक शिक्षा विभाग	प्राविधिक शिक्षा मंत्री	राजस्व	435.97	...	73-74
049	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री				75
			पूँजी	300.00	...	
051	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	मुख्य मंत्री	राजस्व	200.00	85436.00	77-78
052	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	मुख्य मंत्री	राजस्व	20667.12	...	79-80
055	लोक निर्माण विभाग (भवन)	लोक निर्माण मंत्री				81-82
			पूँजी	...	110.33	
057	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	लोक निर्माण मंत्री				83-84
			पूँजी	3940.50	...	
058	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	लोक निर्माण मंत्री	राजस्व	350001.00	...	85-87
			पूँजी	75000.00	...	

अनुदान संख्या	विवरण	प्रभारी मंत्री		धनराशि (₹ लाख में) मतदेय	भारित	पृष्ठ संख्या
1	2	3		4	5	6
060	वन विभाग	मुख्य मंत्री				88-89
			पूँजी	5500.00	...	
061	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	वित्त मंत्री	राजस्व	61638.85	...	90-91
063	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	वित्त मंत्री				92
			पूँजी	27.00	...	
065	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)	वित्त मंत्री				93-94
			पूँजी	6458.97	...	
067	विधान परिषद् सचिवालय	संसदीय कार्य मंत्री				95-96
			पूँजी	487.63	...	
068	विधान सभा सचिवालय	संसदीय कार्य मंत्री	राजस्व	162.50	...	97-98
			पूँजी	475.54	...	
069	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	मुख्य मंत्री				99
			पूँजी	9251.76	...	
071	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	मुख्य मंत्री	राजस्व	26832.00	...	100-101
			पूँजी	1634.12	...	
072	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	मुख्य मंत्री	राजस्व	7864.19	...	102-104
			पूँजी	41217.77	...	
073	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	उच्च शिक्षा मंत्री	राजस्व	77.50	...	105-108
			पूँजी	22206.17	...	
075	शिक्षा विभाग(राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	मुख्य मंत्री				109-110
			पूँजी	2686.31	...	

अनुदान संख्या	विवरण	प्रभारी मंत्री		धनराशि (₹ लाख में) मतदेय	भारित	पृष्ठ संख्या
1	2	3		4	5	6
076	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	श्रम एवं सेवायोजन मंत्री	राजस्व	3022.75	...	111-112
			पूँजी	8448.06	...	
078	सचिवालय प्रशासन विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	30000.00	...	113
079	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	मुख्य मंत्री	राजस्व	33215.00	...	114-116
			पूँजी	1400.00	...	
081	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	मुख्य मंत्री	राजस्व	20639.99	...	117-123
			पूँजी	7646.35	...	
082	सतर्कता विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	250.99	...	124-125
083	समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	मुख्य मंत्री	राजस्व	61235.79	...	126-134
			पूँजी	143055.40	...	
084	सामान्य प्रशासन विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	102.00	...	135-136
			पूँजी	1006.70	...	
085	सार्वजनिक उद्यम विभाग	सार्वजनिक उद्यम मंत्री				137
			पूँजी	20.00	...	
086	सूचना विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	49659.00	...	138-139
089	राज्य कर विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	352.00	...	140-141
			पूँजी	4.00	...	
091	स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	3500.00	...	142
092	संस्कृति विभाग	संस्कृति मंत्री	राजस्व	11287.19	...	143-145
			पूँजी	3000.00	...	

अनुदान संख्या	विवरण	प्रभारी मंत्री	धनराशि (₹ लाख में)		पृष्ठ संख्या
			मतदेय	भारित	
1	2	3	4	5	6
093	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग	जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण राजस्व मंत्री	3000.00	...	146-147
		पूँजी	20000.00	...	
		योग : राजस्व	1819199.60	85439.51	
		पूँजी	970337.41	1090.86	
		योग :	2789537.01	86530.37	
		कुल योग :	2876067.38		

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण (₹ लाख में)

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
राजस्व लेखा		
क - सामान्य सेवायें		
(क) राज्य के अंग		
2011 - संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल		
	68	162.50
योग : 2011		162.50
2013 - मंत्रि परिषद्		
	78	30000.00
योग : 2013		30000.00
2014 - न्याय प्रशासन		
	42	35759.50
योग : 2014		35759.50
योग : (क)		65922.00
(ख) राज कोषीय सेवायें		
(II). सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर करों का संग्रहण		
2029 - भू-राजस्व		
	52	667.12
योग : 2029		667.12
(II). सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर करों का संग्रहण		
2030 - स्टाम्प पंजीकरण		
	91	3500.00
योग : 2030		3500.00
(III). वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण		
2040 - विक्री,व्यापार आदि पर कर		
	89	352.00
योग : 2040		352.00
(III). वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण		
2041 - वाहन कर		
	43	82.00
योग : 2041		82.00
योग : (ख)		4601.12
(ग) ब्याज की अदायगी तथा ऋण सेवा		
2049 - ब्याज अदायगियां		
	51	85436.00
योग : 2049		85436.00
योग : (ग)		85436.00
(घ) प्रशासनिक सेवायें		

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण (₹ लाख में)

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
2053 - जिला प्रशासन		
	30	50.00
	84	100.00
योग : 2053		150.00
2055 - पुलिस		
	26	16336.02
योग : 2055		16336.02
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवायें		
	26	265.00
	37	1200.00
	46	186.80
	82	250.99
योग : 2070		1902.79
योग : (घ)		18388.81
(ङ) पेंशन तथा विविध सामान्य सेवायें		
2071 - पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ		
	72	243.32
योग : 2071		243.32
योग : (ङ)		243.32
योग : क		174591.25
ख - सामाजिक सेवायें		
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति		
2202 - सामान्य शिक्षा		
	71	26832.00
	72	7435.30
	73	77.50
	81	7.50
	83	3615.00
योग : 2202		37967.30
2203 - तकनीकी शिक्षा		
	47	435.97
योग : 2203		435.97
2204 - खेल कूद तथा युवा सेवायें		
	22	5402.00
	72	185.57
योग : 2204		5587.57
2205 - कला एवं संस्कृति		
	92	11287.19

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण (₹ लाख में)

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
योग : 2205		11287.19
योग : (क)		55278.03
(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण		
2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य		
	31	65036.91
	34	1105.22
	36	500.00
	83	67.92
योग : 2210		66710.05
योग : (ख)		66710.05
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास		
2215 - जल पूर्ति तथा सफाई		
	37	1.00
	93	3000.00
योग : 2215		3001.00
2217 - शहरी विकास		
	37	100006.00
	61	61638.85
योग : 2217		161644.85
योग : (ग)		164645.85
(घ) सूचना तथा प्रसारण		
2220 - सूचना तथा प्रचार		
	07	50.00
	86	49659.00
योग : 2220		49709.00
योग : (घ)		49709.00
(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		
2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		
	79	33115.00
	83	1050.00
योग : 2225		34165.00
योग : (ङ)		34165.00
(च) श्रमिक तथा श्रम कल्याण		
2230 - श्रम, रोजगार और कौशल विकास		
	76	3022.75
योग : 2230		3022.75
योग : (च)		3022.75

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
(छ) समाज कल्याण तथा पोषण		
2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		
	52	20000.00
	79	100.00
योग : 2235		20100.00
2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत		
	26	974.17
	51	200.00
योग : 2245		1174.17
योग : (छ)		21274.17
(ज) अन्य		
2250 - अन्य सामाजिक सेवायें		
	84	2.00
योग : 2250		2.00
योग : (ज)		2.00
योग : ख		394806.85
ग - आर्थिक सेवायें		
(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्य कलाप		
2401 - फसल कृषि कर्म		
	10	5402.00
	11	200.00
योग : 2401		5602.00
2403 - पशु पालन		
	15	25510.00
	81	1020.00
	83	2039.98
योग : 2403		28569.98
2404 - डेरी विकास		
	16	2050.00
योग : 2404		2050.00
2405 - मछली पालन		
	17	2520.00
योग : 2405		2520.00
2415 - कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा		
	11	2198.38
योग : 2415		2198.38
2425 - सहकारिता		
	18	1100.00

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण (₹ लाख में)

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
योग : 2425		1100.00
योग : (क)		42040.36
(ख) ग्राम विकास		
2501 - ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम		
	13	9868.99
	81	11066.54
योग : 2501		20935.53
2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम		
	13	3.51
	14	97983.42
	81	8545.95
	83	54462.89
योग : 2515		160995.77
योग : (ख)		181931.30
(ङ) उर्जा		
2801 - बिजली		
	09	646264.00
योग : 2801		646264.00
योग : (ङ)		646264.00
(च) उद्योग तथा खनिज		
2851 - ग्राम तथा लघु उद्योग		
	03	2000.00
	05	144.93
	06	100000.00
योग : 2851		102144.93
2852 - उद्योग		
	07	1032.12
योग : 2852		1032.12
योग : (च)		103177.05
(छ) परिवहन		
3054 - सड़क तथा सेतु		
	58	350001.00
योग : 3054		350001.00
3055 - सड़क परिवहन		
	43	3027.30
योग : 3055		3027.30
योग : (छ)		353028.30
(ञ) सामान्य आर्थिक सेवायें		

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण (₹ लाख में)

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
3452 - पर्यटन		
	44	8800.00
योग : 3452		8800.00
योग : (ञ)		8800.00
योग : ग -		1335241.01
राजस्व लेखा		1904639.11
पूँजीगत लेखा		
क - सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा		
4055 - पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय		
	26	24183.75
योग : 4055		24183.75
4058 - लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय		
	08	1300.00
योग : 4058		1300.00
4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय		
	40	4000.00
	42	19.50
	43	2.00
	65	500.00
	68	240.59
योग : 4059		4762.09
4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय		
	26	4881.16
	63	27.00
	67	487.63
	68	234.95
	85	20.00
योग : 4070		5650.74
4075 - विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय		
	65	5958.97
योग : 4075		5958.97
योग : क -		41855.55
ख - सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा		
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा		
4202 - शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय		
	42	25.00
	71	1634.12

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
	72	41217.77
	73	22206.17
	75	2686.31
	76	8448.06
	81	646.35
	83	38893.90
	92	3000.00
योग : 4202		118757.68
योग : (क)		118757.68
(ख) स्वास्थ्य तथा कल्याण पर पूँजीगत लेखा		
4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय		
	33	1075.00
	36	2127.72
योग : 4210		3202.72
योग : (ख)		3202.72
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा		
4215 - जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय		
	81	7000.00
	83	70000.00
	93	20000.00
योग : 4215		97000.00
4216 - आवास पर पूंजीगत परिव्यय		
	02	5000.00
	55	110.33
	89	4.00
योग : 4216		5114.33
4217 - शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय		
	02	10001.00
योग : 4217		10001.00
योग : (ग)		112115.33
(छ) समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा		
4235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय		
	49	300.00
	79	1400.00
योग : 4235		1700.00
योग : (छ)		1700.00
(ञ) अन्य समाज सेवाओं का पूंजीगत लेखा		
4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय		

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण (₹ लाख में)

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
	69	9251.76
	84	1006.70
योग : 4250		10258.46
योग : (अ)		10258.46
योग : ख -		246034.19
ग - आर्थिक सेवाओं के पूंजीगत लेखे		
(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों का पूंजीगत लेखा		
4403 - पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय		
	15	1500.00
योग : 4403		1500.00
4406 - वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय		
	60	5500.00
योग : 4406		5500.00
योग : (क)		7000.00
(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम का पूंजीगत लेखा		
4575 - अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय		
	40	37500.00
	83	22500.00
योग : 4575		60000.00
योग : (ग)		60000.00
(ङ) उर्जा का पूंजीगत लेखा		
4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय		
	09	363277.00
योग : 4801		363277.00
योग : (ङ)		363277.00
(च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा		
4851 - ग्राम एवं लघु उद्योगो पर पूँजीगत परिव्यय		
	06	510.00
योग : 4851		510.00
योग : (च)		510.00
(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा		
5053 - नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय		
	38	90.00
योग : 5053		90.00
5054 - सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		
	07	51887.00
	57	3940.50
	58	75000.00

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण (₹ लाख में)

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
	83	11661.50
योग : 5054		142489.00
5055 - सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय		
	43	10051.00
योग : 5055		10051.00
योग : (छ)		152630.00
(ञ) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा		
5452 - पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय		
	44	11000.00
योग : 5452		11000.00
योग : (ञ)		11000.00
योग : ग -		594417.00
पूँजीगत लेखा		882306.74
ङ - लोक ऋण		
6003 - राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण		
	18	980.53
योग : 6003		980.53
ङ - लोक ऋण		980.53
च - कर्ज तथा उधार		
6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज		
	37	5000.00
योग : 6215		5000.00
6217 - शहरी विकास के लिये कर्ज		
	02	23141.00
योग : 6217		23141.00
6404 - डेरी विकास के लिए कर्ज		
	16	5000.00
योग : 6404		5000.00
6860 - उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज		
	24	55000.00
योग : 6860		55000.00
च - कर्ज तथा उधार		88141.00
योग : समेकत निधि		2876067.38

अनुदान संख्या **002**

आवास विभाग

[वर्ष 2023-2024 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 1)के पृष्ठ संख्या 1-15 तक देखिये]

(₹ लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	44004.60	653853.40	697858.00
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	38142.00	38142.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	44004.60	691995.40	736000.00
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

	धनराशि

पूँजी लेखा-------

4216 - आवास पर पूंजीगत परिव्यय

80 - सामान्य

800 - अन्य व्यय

04 - स्टेट कैपिटल रीजनल डेवलपमेंट अथारिटी तथा अन्य रीजनल डेवलपमेंट अथारिटी के गठन हेतु

30 - निवेश/ऋण 5000.00

योग : 04 5000.00

योग : 800 5000.00

योग : 80 5000.00

योग : 4216 5000.00

4217 - शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय

60 - अन्य शहरी विकास योजनायें

051 - निर्माण

05 - वाराणसी एवं गोरखपुर में एकीकृत मण्डलीय कार्यालय का निर्माण

24 - वृहत् निर्माण कार्य 10000.00

योग : 05 10000.00

योग : 051 10000.00

800 - अन्य व्यय

09 - प्रदेश के विकास प्राधिकरणों / उ 0 प्र 0 आवास एवं विकास परिषद में कन्वेंशन सेन्टर का निर्माण

	धनराशि
24 - वृहत् निर्माण कार्य	1.00
योग : 09	1.00
योग : 800	1.00
योग : 60	10001.00
योग : 4217	10001.00

6217 - शहरी विकास के लिये कर्ज

60 - अन्य शहरी विकास योजनाएं

190 - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

05 - लखनऊ एवं कानपुर मेट्रो रेल परियोजना हेतु प्राप्त वाहय ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु

30 - निवेश/ऋण	23141.00
योग : 05	23141.00
योग : 190	23141.00
योग : 60	23141.00
योग : 6217	23141.00
योग : पूँजी लेखा	38142.00
योग : अनुपूरक	38142.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है **:-**

1. स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेन्ट ऑथारिटी तथा अन्य रीजनल डेवलपमेन्ट ऑथारिटी के गठन हेतु सीड कैपिटल के लिये रूपये 500000000 की आवश्यकता ।
2. वाराणसी एवं गोरखपुर में एकीकृत मण्डलीय कार्यालयों के निर्माण के लिये सीड कैपिटल हेतु रूपये 1000000000 की आवश्यकता ।
3. प्रदेश के विकास प्राधिकरणों / उ.प्र. आवास एवं विकास प्राधिकरणों में कन्वेंशन सेन्टर के निर्माण हेतु रूपये 100000 की प्रतीक आवश्यकता | आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान में हो रही बचतों से वहन की जायेगी | ।
4. लखनऊ एवं कानपुर मेट्रो रेल परियोजना हेतु प्राप्त वाह्य ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु रूपये 2314100000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या **003**

उघोग विभाग (लघु उघोग एवं निर्यात प्रोत्साहन)

[वर्ष 2023-2024 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 1)के पृष्ठ संख्या 1-13 तक देखिये]

(₹ लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	104725.09	87071.75	191796.84
	भारित	6.00	...	6.00
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	2000.00	...	2000.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	106725.09	87071.75	193796.84
	भारित	6.00	...	6.00

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

	धनराशि
राजस्व लेखा-------	
2851 - ग्राम तथा लघु उद्योग	
102 - लघु उद्योग	
14 - विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना	
42 - अन्य व्यय	2000.00
योग : 14	2000.00
योग : 102	2000.00
योग : 2851	2000.00
योग : राजस्व लेखा	2000.00
योग : अनुपूरक	2000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है **:-**

1. विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना हेतु रूपये 200000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या **005**

उघोग विभाग **(**खादी एवं ग्रामोघोग**)**

[वर्ष 2023-2024 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 1)के पृष्ठ संख्या 1-5 तक देखिये]

(₹लाख में **)**

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	14264.82	...	14264.82
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	144.93	...	144.93
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	14409.75	...	14409.75
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में **)**

	धनराशि
राजस्व लेखा-------	
2851 - ग्राम तथा लघु उघोग	
105 - खादी ग्रामोघोग	
29 - खादी एवं ग्रामोघोग विकास तथा सतत् स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	144.93
योग : 29	144.93
योग : 105	144.93
योग : 2851	144.93
योग : राजस्व लेखा	144.93
योग : अनुपूरक	144.93

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है **:-**

1. खादी एवं ग्रामोघोग विकास एवं सतत स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के क्रय किये गये सोलर चर्खो के लंबित बिलो के भुगतान हेतु रूपये 14493000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या **006**

उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

[वर्ष 2023-2024 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 1)के पृष्ठ संख्या 1-6 तक देखिये]

(₹ लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	76039.68	1500.00	77539.68
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	100000.00	510.00	100510.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	176039.68	2010.00	178049.68
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

	धनराशि
राजस्व लेखा-------	
2851 - ग्राम तथा लघु उद्योग	
108 - बिजली करघा उद्योग	
04 - पावरलूम बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति	
27 - सब्सिडी	100000.00
योग : 04	100000.00
योग : 108	100000.00
योग : 2851	100000.00
योग : राजस्व लेखा	100000.00
पूँजी लेखा-------	
4851 - ग्राम एवं लघु उद्योग़ो पर पूँजीगत परिव्यय	
103 - हथकरघा उद्योग	
03 - पी0 एम 0 मित्रा योजनान्तर्गत जनपद लखनऊ-हरदोई में पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं परिधान (पीएम मित्र) पार्क की स्थापना	
30 - निवेश/ऋण	510.00
योग : 03	510.00
योग : 103	510.00
योग : 4851	510.00

	धनराशि
योग : पूँजी लेखा	510.00
योग : अनुपूरक	100510.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. पावरलूम बुनकरों को विघुत दर में छूट की प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 10000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. पी.एम. मित्र योजनान्तर्गत जनपद लखनऊ-हरदोई में पी.एम. मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं परिधान (पी.एम. मित्र) पार्क की स्थापना हेतु रूपये 51000000 की आवश्यकता ।

(₹ लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	1075958.93	982695.17	2058654.10
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	1082.12	51887.00	52969.12
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1077041.05	1034582.17	2111623.22
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

	धनराशि
राजस्व लेखा-------	
2220 - सूचना तथा प्रचार	
60 - अन्य	
800 - अन्य व्यय	
03 - व्यापार मेलों आदि में प्रतिभाग / प्रस्तुतीकरण, समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार एवं प्रसार	
42 - अन्य व्यय	50.00
योग : 03	50.00
योग : 800	50.00
योग : 60	50.00
योग : 2220	50.00
2852 - उद्योग	
07 - दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग	
202 - इलेक्ट्रानिक्स	
03 - शासकीय कार्यालयों का आधुनिकीकरण	
58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	17.42
योग : 03	17.42
04 - स्माल सेल तथा भूमि की स्थापना के लिए साफ्टवेयर प्रणाली का विकास	
42 - अन्य व्यय	12.70

	धनराशि
योग : 04	12.70

10 - प्रदेश में दूरसंचार सेवाओं / सुविधाओं के विकास हेतु तकनीकी जनशक्ति / पीएमयू का गठन

42 - अन्य व्यय	1.00
योग : 10	1.00

11 - विशेष सहायता योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में 01 WI-FI कनेक्शन एवं 05 FTTH कनेक्शन हेतु प रिचालन व्ययों (OPEX) की व्यवस्था

42 - अन्य व्यय	1000.00
योग : 11	1000.00
योग : 202	1031.12
योग : 07	1031.12

80 - सामान्य

800 - अन्य व्यय

16 - उ.प्र. डाटा सेन्टर नीति

16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1.00
योग : 16	1.00
योग : 800	1.00
योग : 80	1.00
योग : 2852	1032.12
योग : राजस्व लेखा	1082.12

पूँजी लेखा-------

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

03 - राज्य राजमार्ग

337 - सड़क निर्माण कार्य

17 - गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में जी.एस.टी. के अतिरिक्त प्रतिशत व्ययभार के दृष्टिगत विकासकर्ताओं को प्रतिपूर्ति हेतु

24 - वृहत् निर्माण कार्य	51887.00
योग : 17	51887.00
योग : 337	51887.00
योग : 03	51887.00
योग : 5054	51887.00

	धनराशि
योग : पूँजी लेखा	51887.00
योग : अनुपूरक	52969.12

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. व्यापार मेलों आदि में प्रतिभाग/प्रस्तुतीकरण, प्रचार एवं प्रसार हेतु रूपये 5000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. शासकीय कार्यालयों का आधुनिकीकरण कराये जाने हेतु रूपये 1742000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. स्माल सेल तथा भूमि के ऊपर टेलीग्राफ लाइन की स्थापना के लिये साफ्वेयर प्रणाली के विकास हेतु रूपये 1270000 की आवश्यकता ।
4. प्रदेश में दूससंचार सेवा/सुविधाओं के विकास हेतु तकनीकी जनशक्ति पी.एम.यू. के गठन हेतु रूपये 100000 की आवश्यकता ।
5. ग्राम पंचायत में वाई-फाई कनेक्शन एवं एफ.टी.टी.एच. कनेक्शन के लिये परिचालन व्ययों की व्यवस्था हेतु रूपये 100000000 की आवश्यकता ।
6. उ.प्र. डाटा सेन्टर नीति के क्रियान्वयन हेतु रूपये 100000 की व्यवस्था। आवश्यकतानुसार धनराशि अनुदान के अन्तर्गत सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी।
7. गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ परियोजना) में जी.एस.टी. के अतिरिक्त 06 प्रतिशत व्यय भार की विकासकर्ताओं को प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 5188700000 की आवश्यकता ।

(₹लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	24833.70	1080.95	25914.65
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	1300.00	1300.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	24833.70	2380.95	27214.65
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

	धनराशि
पूँजी लेखा--------	
4058 - लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय	
103 - सरकारी मुद्रणालय	
03 - सरकारी मुद्रणालयों में मशीनें तथा उपकरणों एवं संयत्रों का क्रय	
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	1300.00
योग : 03	1300.00
योग : 103	1300.00
योग : 4058	1300.00
योग : पूँजी लेखा	1300.00
योग : अनुपूरक	1300.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है **:-**

1. सरकारी मुद्राणालयों में मशीनों तथा उपकरणों एवं संयत्रों का क्रय करने हेतु रूपये 130000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

(₹ लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	3051171.36	1645160.72	4696332.08
	भारित	289506.43	440583.56	730089.99
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	646264.00	363277.00	1009541.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	3697435.36	2008437.72	5705873.08
	भारित	289506.43	440583.56	730089.99

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

	धनराशि

राजस्व लेखा-------

2801 - बिजली

05 - संचरण एवं वितरण

190 - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य, उपक्रमों को सहायता

03 - उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लि0

0301 - आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लि. द्वारा पी.एफ.सी. एवं आर.ई.सी. से प्राप्त किये गये रू. 20,940 करोड़ के ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु अनुदान

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	28800.00
योग : 0301	28800.00
योग : 03	28800.00
योग : 190	28800.00

800 - अन्य व्यय

04 - उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. को क्षतिपूर्ति अनुदान

27 - सब्सिडी	187464.00
योग : 04	187464.00

08 - निजी नलकूप उपभोक्ताओं को टैरिफ सब्सिडी हेतु यू.पी.पी.सी.एल.को अनुदान

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	90000.00
योग : 08	90000.00

09 - रिवैम्प्ड योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की हानियों की फण्डिंग

	धनराशि
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	320000.00
योग : 09	320000.00

10 - उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को विद्युत कर की भुगतान की गयी धनराशि के विरूद्ध राजस्व क्षतिपूर्ति अनुदान

27 - सब्सिडी	20000.00
योग : 10	20000.00
योग : 800	617464.00
योग : 05	646264.00
योग : 2801	646264.00
योग : राजस्व लेखा	646264.00

पूँजी लेखा-------

4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

02 - ताप विद्युत शक्ति उत्पादन

190 - सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

14 - उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

1409 - ओबरा 'सी' तापीय परियोजना 2x660 मे.वा.की स्थापना हेतु अंशपूँजी विनियोजन

30 - निवेश/ऋण	10000.00
योग : 1409	10000.00

1410 - 2x660 मेगावाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु अंशपूंजी विनियोजन

30 - निवेश/ऋण	7500.00
योग : 1410	7500.00

1419 - घाटमपुर, कानपुर में मेसर्स निवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि0 के साथ संयुक्त उपक्रम में 2000 मे0 वा0 की तापीय परियोजना की स्थापना

30 - निवेश/ऋण	15000.00
योग : 1419	15000.00
योग : 14	32500.00
योग : 190	32500.00
योग : 02	32500.00

05 - संचरण तथा वितरण

	धनराशि
190 - सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	
06 - दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (11 वीं, 12 वीं एवं नवीन) तथा सौभाग्य योजना के अन्तर्गत एस.जी.एस.टी. एवं वैट की भांति लेबर सेस एवं राज्य के अन्य करों के भुगतान की प्रतिपूर्ति	
30 - निवेश/ऋण	14800.00
योग : 06	14800.00
11 - प्रदेश के सभी जनपदों में वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण संबंधी कार्यों हेतु	
30 - निवेश/ऋण	150000.00
योग : 11	150000.00
13 - प्रदेश के नगर निगमीय क्षेत्र में वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण संबंधी कार्यों हेतु	
30 - निवेश/ऋण	102886.00
योग : 13	102886.00
21 - प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में किफायती आवास निर्माण की परियोजनाओं में बाहय विद्युतीकरण के कार्य हेतु	
30 - निवेश/ऋण	1991.00
योग : 21	1991.00
89 - केन्द्र प्रयोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	
8907 - हानियों कमी हेतु कराये जाने वाले कार्य हेतु अंशपूंजी (राज्यांश)	
30 - निवेश/ऋण	51100.00
योग : 8907	51100.00
8908 - स्मार्ट मीटरिंग हेतु यू0 पी0 सी0 एल 0 को अंशपूंजी (राज्यांश)	
30 - निवेश/ऋण	10000.00
योग : 8908	10000.00
योग : 89	61100.00
योग : 190	330777.00
योग : 05	330777.00
योग : 4801	363277.00
योग : पूँजी लेखा	363277.00
योग : अनुपूरक	1009541.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. आत्मनिर्भर भारत योजनान्तर्गत प्राप्त ऋण के पुनर्भुगतान हेतु रूपये 2880000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. उ.प्र. पावर कार्पोरेशन लि. को वर्ष 2023-24 के लिये प्रतिपूर्ति अनुदान हेतु रूपये 13000000000 की आवश्यकता ।
3. उ.प्र. पावर कार्पोरेशन लि. को वर्ष 2020-21 के लिये देय राजस्व प्रतिपूर्ति अनुदान के सापेक्ष अवशेष भुगतान हेतु रूपये 5746400000 की आवश्यकता ।
4. निजी नलकूप उपभोक्ताओं को बीजको पर 100 प्रतिशत छूट प्रदान किये जाने हेतु रूपये 9000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. डिस्काम्स की हानियों की फण्डिंग हेतु रूपये 32000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
6. उ.प्र. पावर कार्पोरेशन लि. को विद्युत कर के सापेक्ष अनुदान हेतु रूपये 2000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
7. ओवरा सी तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु रूपये 1000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
8. जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना के लिये उत्पादन निगम को अंशपूंजी हेतु रूपये 750000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
9. घाटमपुर तापीय विद्युत परियोजना हेतु रूपये 1500000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
10. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना एवं सौभाग्य योजनान्तर्गत एस.जी.एस.टी. एवं वैट की भाँति लेबर सेस एवं राज्य के अन्य करों के भुगतान हेतु रूपये 1480000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
11. प्रदेश के सभी जनपदों में वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु रूपये 15000000000 की आवश्यकता ।
12. प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों तथा नोएडा एवं मऊ में वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु रूपये 10288600000 की आवश्यकता ।
13. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में किफायती आवास निर्माण की परियोजनाओं में वाहय विद्युतीकरण कार्य हेतु रूपये 199100000 की आवश्यकता ।
14. रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेन्टर स्कीम अन्तर्गत हानियों में कमी हेतु अंशपूंजी के रूप में रूपये 5110000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
15. रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेन्टर स्कीम अन्तर्गत स्मार्ट मीटरिंग के कार्यो हेतु रूपये 1000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या **010**

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)

[वर्ष 2023-2024 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 2)के पृष्ठ संख्या 1-26 तक देखिये]

(₹ लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	178610.52	10451.58	189062.10
	भारित	320.14	...	320.14
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	5402.00	...	5402.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	184012.52	10451.58	194464.10
	भारित	320.14	...	320.14

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

	धनराशि
राजस्व लेखा-------	
2401 - फसल कृषि कर्म	
119 - बागवानी तथा वनस्पति की फसलें	
04 - फल	
0418 - उ 0 प्र 0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति - 2017	
27 - सब्सिडी	5402.00
योग : 0418	5402.00
योग : 04	5402.00
योग : 119	5402.00
योग : 2401	5402.00
योग : राजस्व लेखा	5402.00
योग : अनुपूरक	5402.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है **:-**

1. उ.प्र. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के क्रियान्वयन हेतु रूपये 540200000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

(₹ लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	736836.73	71161.84	807998.57
	भारित	20.05	...	20.05
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	2398.38	...	2398.38
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	739235.11	71161.84	810396.95
	भारित	20.05	...	20.05

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

	धनराशि
राजस्व लेखा-------	
2401 - फसल कृषि कर्म	
109 - विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण	
97 - यू.पी.डाइवर्सीफाइड एग्रीकल्चरल सपोर्ट प्रोजेक्ट	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	155.00
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	45.00
योग : 97	200.00
योग : 109	200.00
योग : 2401	200.00
2415 - कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	
80 - सामान्य	
120 - अन्य संस्थाओं को सहायता	
04 - उ.प्र. कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर को अनुदान	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	200.00
योग : 04	200.00
06 - उ.प्र. कृषि अनुसंधान परिषद को अनुदान	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	50.00
योग : 06	50.00
07 - उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय कानपुर को जनपद इटावा में प्रौद्योगिक महाविद्यालय की स्थापना हेतु अनुदान	

		धनराशि
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)		223.38
	योग : 07	223.38
12 - कृषि एवं प्रौघोगिक विश्वविघालय,मोदीपुरम् मेरठ की स्थापना		
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)		750.00
	योग : 12	750.00
27 - कृषि विश्वविघालय बांदा की स्थापना		
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)		470.00
	योग : 27	470.00
33 - बांदा कृषि एवं प्रौघोगिक विश्वविघालय, बांदा के अन्तर्गत पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशु पालन महाविघालय		
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)		500.00
	योग : 33	500.00
34 - महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौघोगिक विश्वविघालय, कुशीनगर		
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)		5.00
	योग : 34	5.00
	योग : 120	2198.38
	योग : 80	2198.38
	योग : 2415	2198.38
योग : राजस्व लेखा		2398.38
योग : अनुपूरक		2398.38

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. यू.पी. डाइवर्सिफाईड एग्रीकल्चरल सपोर्ट प्रोजेक्ट हेतु रूपये 20000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. चन्द्रशेखर आजाद, कृषि एवं प्रौघोगिकी विश्वविघालय, कानपुर के विभिन्न भवनों के बकाया गृहकर के भुगतान हेतु रूपये 20000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. उ.प्र. कृषि अनुसन्धान परिषद के अध्यक्ष के बकाया देयो हेतु रूपये 5000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौघोगिकी विश्वविघालय, कानपुर को जनपद इटावा में प्रौघोगिकी महाविघालय के शिक्षको/कार्मिको के वेतन भुगतान हेतु रूपये 22338000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. कृषि एवं प्रौघोगिकी विश्वविघालय, मोदीपुरम, मेरठ के शिक्षको/कार्मिको के वेतन भुगतान की स्थापना हेतु रूपये 75000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
6. कृषि एवं प्रौघोगिकी विश्वविघालय, बॉदा के शिक्षको/कार्मिको के वेतन भुगतान की स्थापना हेतु रूपये 47000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
7. बॉदा कृषि एवं प्रौघोगिकी विश्वविघालय, बॉदा के अन्तर्गत पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविघालय के संचालन के लिये फर्नीचर, उपकरण एवं साज-सज्जा हेतु रूपये 50000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
8. महात्मा बुद्ध, कृषि एवं प्रौघोगिकी विश्वविघालय, कुशीनगर में विशेष कार्याधिकारी एवं अन्य स्टाफ के नियत मानदेय/वेतनादि हेतु रूपये 500000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

(₹लाख में **)**

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	578973.36	2330227.40	2909200.76
	भारित	17.50	...	17.50
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	9868.99	...	9868.99
	भारित	3.51	...	3.51
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	588842.35	2330227.40	2919069.75
	भारित	21.01	...	21.01

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में **)**

	धनराशि

राजस्व लेखा-------

2501 - ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम

01 - एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

800 - अन्य व्यय

02 - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

0204 - स्टार्टअप विलेज एन्टरप्रोन्योरशिप प्रोग्राम (एस 0 पी0 ई 0 पी0) (के.60/रा.40-के.+रा.)

27 - सब्सिडी 2525.35

योग : 0204 2525.35

0207 - नेशनल रूरल इकनॉमिक ट्रान सफार्मेशन प्रोजेक ट (एन 0 आर 0 ई 0 टी0 पी0) (के.60/रा.40-के.)

27 - सब्सिडी 3396.04

योग : 0207 3396.04

योग : 02 5921.39

89 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश

8904 - स्टार्टअप विलेज एन्टरप्रोन्योरशिप प्रोग्राम (एस 0 पी0 ई 0 पी0)

27 - सब्सिडी 1683.57

योग : 8904 1683.57

8907 - नेशनल रूरल इकनॉमिक ट्रान सफार्मेशन प्रोजेक ट (एन 0 आर 0 ई 0 टी0 पी0)

			धनराशि
27 - सब्सिडी			2264.03
	योग : 8907		2264.03
	योग : 89		3947.60
	योग : 800		9868.99
	योग : 01		9868.99
	योग : 2501		9868.99

2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

001 - निदेशन तथा प्रशासन

03 - विकास आयुक्त(मुख्यालय)

42 - अन्य व्यय		मतदेय	--
		भारित	3.51
	योग : 03	मतदेय	- -
		भारित	3.51
	योग : 001	मतदेय	- -
		भारित	3.51
	योग : 2515	मतदेय	- -
		भारित	3.51
	योग : राजस्व लेखा	मतदेय	9868.99
		भारित	3.51
	योग : अनुपूरक	मतदेय	9868.99
		भारित	3.51

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है **:-**

1. स्टार्टअप विलेज इन्टरप्रोन्योरशिप प्रोग्राम के लिये केन्द्रांश रूपये 2525.35 लाख तथा राज्यांश हेतु रूपये 1683.57 लाख अर्थात कुल रूपये 420892000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. नेशनल रूरल इकनामिक ट्रांसफारमेशन प्रोजेक्ट के लिए केन्द्रांश हेतु रूपये 3396.04 लाख एवं राज्यांश हेतु रूपये 2264.03 लाख अर्थात कुल रूपये 566007000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. विकास आयुक्त कार्यालय हेतु रूपये 351000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

(₹ लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	1401581.32	57182.50	1458763.82
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	97983.42	...	97983.42
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1499564.74	57182.50	1556747.24
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

	धनराशि
राजस्व लेखा-------	
2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	
101 - पंचायती राज	
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	
0103 - स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालयों का निर्माण (जिला योजना)(के.60/रा.40-के.)	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	58790.05
योग : 0103	58790.05
योग : 01	58790.05
89 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	
8903 - स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालयों का निर्माण (जिला योजना)	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	39193.37
योग : 8903	39193.37
योग : 89	39193.37
योग : 101	97983.42
योग : 2515	97983.42
योग : राजस्व लेखा	97983.42

	धनराशि
योग : अनुपूरक	97983.42

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है **:-**

1. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत स्वच्छ शौचालयों के निर्माण हेतु केन्द्रांश हेतु रूपये 58790.05 लाख एवं राज्यांश हेतु रूपये 39193.37 लाख अर्थात कुल रूपये 9798342000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

(₹ लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	271100.49	26655.14	297755.63
	भारित	13.79	...	13.79
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	25510.00	1500.00	27010.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	296610.49	28155.14	324765.63
	भारित	13.79	...	13.79

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

		धनराशि
राजस्व लेखा-------		
2403 - पशु पालन		
101 - पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य		
09 - बहुउद्देशीय सचल पुश चिकित्सा सेवायें (राज्य योजना)		
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद		220.00
58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान		280.00
	योग : 09	500.00
12 - पशु जैविक औषधि संस्थान का सुदृढीकरण		
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण		1.23
13 - टेलीफोन पर व्यय		0.22
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान		2.20
29 - अनुरक्षण		2.20
39 - औषधि तथा रसायन		0.09
42 - अन्य व्यय		2.30
43 - सामग्री एवं सम्पूर्ति		1.32
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय		0.44
	योग : 12	10.00
	योग : 101	510.00
102 - पशु तथा भैंस विकास		

	धनराशि
27 - छुट्टा गोवंश के रख-रखाव हेतु	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	25000.00
योग : 27	25000.00
योग : 102	25000.00
योग : 2403	25510.00
योग : राजस्व लेखा	25510.00

पूँजी लेखा-------

4403 - पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय

101 - पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य

19 - पशु जैविक औषधि संस्थान

24 - वृहत् निर्माण कार्य	500.00
योग : 19	500.00
योग : 101	500.00

800 - अन्य व्यय

04 - गो-संरक्षण केन्द्रों की स्थापना

24 - वृहत् निर्माण कार्य	1000.00
योग : 04	1000.00
योग : 800	1000.00
योग : 4403	1500.00
योग : पूँजी लेखा	1500.00
योग : अनुपूरक	27010.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है **:-**

1. जनपदों में बहुउद्देशीय पशुचिकित्सालयों में सर्विस प्रदाता फर्मों द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन चालकों के पारिश्रमिक के भुगतान एवं वाहनों के संचालन हेतु रूपये 50000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. प्रदेश में पशुओं एवं पक्षियों के जीवाणु जनित रोगों के विरूद्ध वैक्सीन बनाने सम्‍ बन्धी पशु जैविक औषधि संस्थान के सुदृढीकरण योजनान्तर्गत राजस्व पक्ष में रूपये 1000000 की आवश्यकता ।
3. छुट्टा गोवंश के रख-रखाव हेतु रूपये 2500000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. प्रदेश में पशुओं एवं पक्षियों के जीवाणु एवं विषाणु जनित रोगों के विरूद्ध वैक्सीन बनाने सम्बन्धी पशु जैविक औषधि संस्थान के सुदृढीकरण हेतु पूंजीगत पक्ष में रूपये 50000000 की आवश्यकता ।
5. गो-संरक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु रूपये 100000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या **016**

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

[वर्ष 2023-2024 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 2)के पृष्ठ संख्या 1-5 तक देखिये]

(₹ लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	19862.99	6950.00	26812.99
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	2050.00	5000.00	7050.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	21912.99	11950.00	33862.99
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

	धनराशि
राजस्व लेखा-------	
2404 - डेरी विकास	
102 - डेरी विकास परियोजनायें	
04 - वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना के अन्तर्गत दुग्ध संघों को अनुदान (जिला योजना)	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	2000.00
योग : 04	2000.00
10 - उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद को वित्तीय सहायता	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	50.00
योग : 10	50.00
योग : 102	2050.00
योग : 2404	2050.00
योग : राजस्व लेखा	2050.00
पूँजी लेखा-------	
6404 - डेरी विकास के लिए कर्ज	
190 - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज	
05 - कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु पी0 सी0 डी0 एफ 0 को ऋण	
30 - निवेश/ऋण	5000.00
योग : 05	5000.00

		धनराशि
	योग : 190	5000.00
	योग : 6404	5000.00
योग : पूँजी लेखा		5000.00
योग : अनुपूरक		7050.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजनान्तर्गत दुग्ध संघ मेरठ एवं लखनऊ की दिनॉक 31 मार्च, 2023 तक की संकलित नकद हानि एवं दुग्ध संघ, वाराणसी की दिनॉक 30 नवम्बर, 2021 तक की बकाया देयताओं की व्यवस्था हेतु रूपये 200000000 की आवश्यकता ।
2. उ.प्र. राज्य दुग्ध परिषद को (सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्तिक देयको के भुगतान) को वित्तीय सहायता हेतु रूपये 5000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेत पी.सी.डी.एफ. को ऋण हेतु रूपये 500000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या **017**

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

[वर्ष 2023-2024 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 2)के पृष्ठ संख्या 1-10 तक देखिये]

(₹ लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	45103.02	50.00	45153.02
	भारित	9.50	...	9.50
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	2520.00	...	2520.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	47623.02	50.00	47673.02
	भारित	9.50	...	9.50

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

	धनराशि
राजस्व लेखा-------	
2405 - मछली पालन	
797 - आरक्षित निधियों /जमा लेखों को अन्तरण	
03 - उ.प्र. मत्स्य पालक कल्याण कोष को अन्तरण	
48 - अन्तर्लेखा संक्रमण	2500.00
योग : 03	2500.00
04 - स्वैच्छिक अभिदान / सहायता राशि का उ.प्र. मत्स्य पालक कल्याण कोष को अन्तरण	
48 - अन्तर्लेखा संक्रमण	10.00
योग : 04	10.00
योग : 797	2510.00
800 - अन्य व्यय	
13 - उ.प्र. मत्स्य पालक कल्याण कोष से व्यय	
42 - अन्य व्यय	10.00
योग : 13	10.00
योग : 800	10.00
योग : 2405	2520.00
योग : राजस्व लेखा	2520.00
योग : अनुपूरक	2520.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. उ.प्र. मत्स्य पालक कल्याण कोष में अन्तरण हेतु रूपये 250000000 की आवश्यकता ।
2. स्वैच्छिक अभिदान / सहायता राशि का उ.प्र. मत्स्य पालक कल्याण कोष में अन्तरण हेतु रूपये 1000000 की आवश्यकता ।
3. उ.प्र. मत्स्य पालक कल्याण कोष से व्यय हेतु रूपये 1000000 की आवश्यकता ।

(₹लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	109514.90	19750.00	129264.90
	भारित	1800.00	2495.28	4295.28
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	1100.00	...	1100.00
	भारित	...	980.53	980.53
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	110614.90	19750.00	130364.90
	भारित	1800.00	3475.81	5275.81

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

	धनराशि

राजस्व लेखा-------

2425 - सहकारिता

108 - अन्य सहकारी समितियों को सहायता

04 - उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति हेतु जिला सहकारी बैंकों द्वारा बी-पैक्स को स्वीकृत की जाने वाली कैश क्रेडिट ऋण सीमा पर ब्याज की प्रतिपूर्ति

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1000.00
योग : 04	1000.00
योग : 108	1000.00

800 - अन्य व्यय

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनायें

0101 - सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सहकारिता का सुदृढ़ीकरण (के.60/रा.40-के.)

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	60.00
योग : 0101	60.00
योग : 01	60.00

89 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश

8901 - सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सहकारिता का सुदृढ़ीकरण

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	40.00
योग : 8901	40.00

		धनराशि
योग : 89		40.00
योग : 800		100.00
योग : 2425		1100.00
योग : राजस्व लेखा		1100.00

पूँजी लेखा-------

6003 - राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण

108 - राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज

03 - लिये गये ऋण का प्रतिदान

30 - निवेश/ऋण

	मतदेय	--
	भारित	980.53
योग : 03	मतदेय	- -
	भारित	980.53
योग : 108	मतदेय	- -
	भारित	980.53
योग : 6003	मतदेय	- -
	भारित	980.53
योग : पूँजी लेखा	मतदेय	- -
	भारित	980.53
योग : अनुपूरक	मतदेय	1100.00
	भारित	980.53

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है **:-**

1. उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति हेतु जिला सहकारी बैकों द्वारा बी-पैक्स को स्वीकृत की जाने वाली कैश क्रेडिट ऋण सीमा पर ब्याज की प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 100000000 की आवश्यकता ।
2. सूचना प्रौधिगिकी के माध्यम से सहकारिता के सुढ़ढीकरण के लिए केन्द्रांश हेतु रूपये 60.00 लाख तथा राज्यांश हेतु रूपये 40.00 लाख अर्थात कुल रूपये 10000000 की आवश्यकता ।
3. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से लिये गये ऋण के प्रतिदान हेतु रूपये 98053000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या **022**

खेल विभाग

[वर्ष 2023-2024 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 3)के पृष्ठ संख्या 1-12 तक देखिये]

(₹ लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	26551.79	69165.62	95717.41
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	5402.00	...	5402.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	31953.79	69165.62	101119.41
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

	धनराशि
राजस्व लेखा-------	
2204 - खेल कूद तथा युवा सेवायें	
104 - खेलकूद	
13 - राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	5102.00
योग : 13	5102.00
29 - राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	200.00
योग : 29	200.00
35 - सैयद मोदी मेमोरियल आल इण्डिया प्राइजमनी बैडमिन्टन कम्पटीशन हेतु सहायता	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	100.00
योग : 35	100.00
योग : 104	5402.00
योग : 2204	5402.00
योग : राजस्व लेखा	5402.00
योग : अनुपूरक	5402.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है **:-**

1. 19 वें एशियन गेम्स-2022 तथा 19 वें पैरा एशियन गेम्स-2022 में उ.प्र. के प्रतिभाग करने वाले तथा तथा पदक विजेता खिलाड़ियों तथा नेशनल गेम्स में पदक

विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार हेतु रूपये 510200000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

2. माह सितम्बर 2023 में सम्पन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टेनिस प्रतियोगिता (डेविस कप) हेतु वांछित धनराशि ऑल इंडिया टेनिस एसोशियेशन को उपलब्ध कराये जाने हेतु रूपये 20000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. सैयद मोदी मेमोरियल आल इण्डिया प्राइजमनी बैडमिन्टन कम्पटीशन हेतु रूपये 10000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या **024**

गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

[वर्ष 2023-2024 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 3)के पृष्ठ संख्या 1-8 तक देखिये]

(₹ लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	6925.86	149850.00	156775.86
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	55000.00	55000.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	6925.86	204850.00	211775.86
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

	धनराशि
पूँजी लेखा-------	
6860 - उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	
04 - चीनी	
101 - सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज	
03 - उ.प्र. सहकारी चीनी मिल संघ की चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु कर्ज	
30 - निवेश/ऋण	40000.00
योग : 03	40000.00
योग : 101	40000.00
190 - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज	
05 - उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. की चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान	
30 - निवेश/ऋण	15000.00
योग : 05	15000.00
योग : 190	15000.00
योग : 04	55000.00
योग : 6860	55000.00
योग : पूँजी लेखा	55000.00
योग : अनुपूरक	55000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ की चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु कर्ज के लिये रूपये 4000000000 की आवश्यकता ।
2. उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. की चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु कर्ज (पैराई सत्र 2022-23) के लिये रूपये 500000000 की आवश्यकता ।
3. उ.प्र. राज्य चीनी निगम की चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु कर्ज (पेराई सत्र 2023-24) के लिये 1000000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या **026**

गृह विभाग (पुलिस)

[वर्ष 2023-2024 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 3)के पृष्ठ संख्या 1-54 तक देखिये]

(₹ लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	3277872.05	438727.28	3716599.33
	भारित	400.00	...	400.00
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	17575.19	29064.91	46640.10
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	3295447.24	467792.19	3763239.43
	भारित	400.00	...	400.00

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

		धनराशि
राजस्व लेखा-------		
2055 - पुलिस		
001 - निदेशन और प्रशासन		
03 - मुख्य		
04 - यात्रा व्यय		10.00
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय		5.00
08 - कार्यालय व्यय		16.00
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई		12.00
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण		5.00
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय		4.00
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय		8.15
49 - चिकित्सा व्यय		50.00
	योग : 03	110.15
	योग : 001	110.15
003 - शिक्षा और प्रशिक्षण		
04 - शिक्षा और प्रशिक्षण मुख्य		
08 - कार्यालय व्यय		15.00
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई		1.40
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद		1.00

		धनराशि
29 - अनुरक्षण		100.00
44 - प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय		625.00
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय		2.60
49 - चिकित्सा व्यय		50.00
	योग : 04	795.00
	योग : 003	795.00

101 - आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता

03 - अभिसूचना अनुभाग-मुख्य-

04 - यात्रा व्यय		50.00
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय		9.10
08 - कार्यालय व्यय		20.00
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई		6.30
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण		1.00
29 - अनुरक्षण		4.75
44 - प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय		4.75
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय		9.45
49 - चिकित्सा व्यय		200.00
58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान		190.69
	योग : 03	496.04

04 - अनुसंधान अनुभाग--

0401 - भ्रष्टाचार निवारण संगठन--

01 - वेतन		350.00
04 - यात्रा व्यय		10.00
	योग : 0401	360.00

0403 - अनुसंधान की अपराध शाखा तथा अन्य इकाईयां---

29 - अनुरक्षण		50.00
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय		70.00
	योग : 0403	120.00

0404 - राज्य अपराध सूचना केन्द्र--

15 - गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद		2.00

		धनराशि
49 - चिकित्सा व्यय		15.00
	योग : 0404	17.00

0405 - शोध एवं सांख्यिकीय इकाई तथा अंगुली चिन्ह ब्यूरो

02 - मजदूरी		0.20
04 - यात्रा व्यय		3.00
08 - कार्यालय व्यय		2.00
49 - चिकित्सा व्यय		10.00

0406 - स्पेशल टास्क फोर्स

04 - यात्रा व्यय		30.00
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई		3.00
23 - गुप्त सेवा व्यय		50.00
29 - अनुरक्षण		110.00
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय		103.78
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय		6.00
49 - चिकित्सा व्यय		40.00
	योग : 0406	342.78

0407 - विशेष अनुसंधान दल

04 - यात्रा व्यय		10.00
08 - कार्यालय व्यय		5.00
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद		10.00
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय		1.00
49 - चिकित्सा व्यय		1.00
58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान		1.00
	योग : 0407	28.00

0408 - आतंकवाद निरोधक दस्ता

08 - कार्यालय व्यय		30.00
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण		40.00
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान		15.00
29 - अनुरक्षण		89.54

		धनराशि
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय		285.39
49 - चिकित्सा व्यय		10.00
	योग : 0408	469.93
0409 - सुरक्षा शाखा		
08 - कार्यालय व्यय		5.50
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण		7.00
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद		200.00
29 - अनुरक्षण		50.00
44 - प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय		10.00
49 - चिकित्सा व्यय		100.00
58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान		5.00
	योग : 0409	377.50
0410 - स्पेशल पुलिस आपरेशन टीम		
04 - यात्रा व्यय		15.00
44 - प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय		27.70
	योग : 0410	42.70
	योग : 04	1773.11
	योग : 101	2269.15
104 - विशेष पुलिस		
03 - राज्य शस्त्र कान्सटेबुलरी-मुख्य-		
02 - मजदूरी		100.00
04 - यात्रा व्यय		370.70
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय		184.15
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण		12.00
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान		10.00
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय		10.00
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय		10.00
49 - चिकित्सा व्यय		200.00

		धनराशि
	योग : 03	896.85
06 - इण्डिया रिजर्व वाहिनी का गठन		
02 - मजदूरी		2.00
04 - यात्रा व्यय		600.00
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय		8.70
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण		2.00
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद		9.09
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान		0.90
44 - प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय		2.99
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय		1.00
49 - चिकित्सा व्यय		30.00
	योग : 06	656.68
07 - उत्तर प्रदेश विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा वाहिनी		
02 - मजदूरी		6.00
04 - यात्रा व्यय		40.00
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद		10.00
49 - चिकित्सा व्यय		70.00
	योग : 07	126.00
08 - विशेष सुरक्षा बल		
01 - वेतन		4500.00
02 - मजदूरी		50.00
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई		5.00
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण		15.00
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद		40.00
49 - चिकित्सा व्यय		15.00
	योग : 08	4625.00
	योग : 104	6304.53
108 - राज्य मुख्यालय पुलिस		
03 - राज्य पुलिस मुख्यालय--		
08 - कार्यालय व्यय		100.00
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण		10.00
49 - चिकित्सा व्यय		50.00

		धनराशि
	योग : 03	160.00
	योग : 108	160.00

109 - जिला पुलिस

03 - जिला पुलिस (मुख्य)

02 -	मजदूरी	2.70
04 -	यात्रा व्यय	2292.36
08 -	कार्यालय व्यय	9.90
11 -	लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	8.92
29 -	अनुरक्षण	45.00
44 -	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2.97
46 -	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	4.77
47 -	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	9.45
49 -	चिकित्सा व्यय	252.00
58 -	आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	6.12
	योग : 03	2634.19

04 - राज्य रेडियो अनुभाग- मुख्य-

04 -	यात्रा व्यय	100.00
49 -	चिकित्सा व्यय	50.00
	योग : 04	150.00

05 - मोटर परिवहन अनुभाग- मुख्य

49 -	चिकित्सा व्यय	50.00
	योग : 05	50.00

07 - जिला पुलिस (थाना)

02 -	मजदूरी	100.00
08 -	कार्यालय व्यय	200.00
12 -	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	100.00
29 -	अनुरक्षण	500.00
58 -	आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	50.00
	योग : 07	950.00

13 - यू.पी. 112 परियोजना

13 -	टेलीफोन पर व्यय	710.00
16 -	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1382.00

		धनराशि
49 - चिकित्सा व्यय		15.00
	योग : 13	2107.00
15 - वूमेन पावर लाईन - 1090		
02 - मजदूरी		4.00
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद		25.00
49 - चिकित्सा व्यय		5.00
	योग : 15	34.00
22 - एन्टी नारकोटिक्स टॉस्क फोर्स		
02 - मजदूरी		1.00
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण		2.00
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय		10.50
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय		2.00
	योग : 22	15.50
	योग : 109	5940.69
111 - रेलवे पुलिस		
03 - मुख्य		
02 - मजदूरी		3.00
04 - यात्रा व्यय		200.00
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय		66.00
08 - कार्यालय व्यय		5.00
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय		1.00
49 - चिकित्सा व्यय		200.00
58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान		55.00
	योग : 03	530.00
	योग : 111	530.00
114 - बेतार और कम्प्यूटर		
03 - पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र		
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय		1.00
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान		1.00
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय		1.50
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय		3.00
49 - चिकित्सा व्यय		150.00

	धनराशि
योग : 03	156.50
योग : 114	156.50

116 - न्यायालयिक विज्ञान

03 - विधि विज्ञान प्रयोगशालायें

49 - चिकित्सा व्यय	15.00
योग : 03	15.00
योग : 116	15.00

800 - अन्य व्यय

16 - कुम्भ मेला - 2019

08 - कार्यालय व्यय	50.00
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	5.00
योग : 16	55.00
योग : 800	55.00
योग : 2055	16336.02

2070 - अन्य प्रशासनिक सेवायें

108 - अग्नि से बचाव तथा नियन्त्रण

03 - प्रशासन

04 - यात्रा व्यय	50.00
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	10.00
15 - गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	50.00
49 - चिकित्सा व्यय	100.00
58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	55.00
योग : 03	265.00
योग : 108	265.00
योग : 2070	265.00

2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

80 - सामान्य

102 - विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश , आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध

03 - एस 0 डी0 आर 0 एफ 0 का गठन

02 - मजदूरी	98.40
04 - यात्रा व्यय	855.77
08 - कार्यालय व्यय	10.00

		धनराशि
49 - चिकित्सा व्यय		10.00
	योग : 03	974.17
	योग : 102	974.17
	योग : 80	974.17
	योग : 2245	974.17
	योग : राजस्व लेखा	17575.19

पूँजी लेखा-------

4055 - पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय

207 - राज्य पुलिस

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0103 - पुलिस बल का आधुनिकीकरण योजना (के.60/रा.40-के)

25 - लघु निर्माण कार्य		283.17
	योग : 0103	283.17

0106 - सेफ सिटी, लखनऊ (के.60/रा.40-के.)

24 - वृहत् निर्माण कार्य		11324.00
	योग : 0106	11324.00

0110 - महिला हेल्पडेस्क

42 - अन्य व्यय		66.00
	योग : 0110	66.00

0114 - सेफ सिटी, गोरखपुर (के.60/रा.40-के.)

26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र		220.81
	योग : 0114	220.81
	योग : 01	11893.98

04 - राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्प लाइन नं. 1930 का क्रियान्वयन

26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र		54.40
	योग : 04	54.40

19 - स्पेशल टास्क फोर्स

		धनराशि
14 - मोटर गाडियों का क्रय		41.50
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र		133.37
	योग : 19	174.87
	योग : 207	12123.25

210 - अनुसंधान , शिक्षा और प्रशिक्षण

03 - यू.पी. स्टेट इन्सटीट्यूट आफ फारेंसिक साईंस लखनऊ

24 - वृहत् निर्माण कार्य		1023.63
	योग : 03	1023.63
	योग : 210	1023.63

211 - पुलिस आवास

06 - पुलिस विभाग के आवासीय भवनों का निर्माण

24 - वृहत् निर्माण कार्य		4246.50
	योग : 06	4246.50

07 - केन्द्रीय पुलिस बल (आर.ए.एफ./सी.आर.पी.एफ.)/ राज्य पुलिस बल के भवनों के लिए भूमि क्रय आदि

60 - भूमि क्रय		4013.77
	योग : 07	4013.77

09 - अग्निशमन केन्द्र के आवासीय / अनावासीय भवनों का निर्माण

24 - वृहत् निर्माण कार्य		2776.60
	योग : 09	2776.60
	योग : 211	11036.87
	योग : 4055	24183.75

4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

800 - अन्य व्यय

09 - जिला पुलिस (मुख्य)

26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र		1437.50
	योग : 09	1437.50

11 - अग्नि से बचाव तथा नियंत्रण - प्रशासन

14 - मोटर गाडियों का क्रय		1388.05
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र		2055.61
	योग : 11	3443.66
	योग : 800	4881.16

		धनराशि
	योग : 4070	4881.16
योग : पूँजी लेखा		29064.91
योग : अनुपूरक		46640.10

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है **:-**

1. गृह विभाग (पुलिस) के विभिन्न कार्यालयों के अधिष्ठान व्यय हेतु रूपये 4646970000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. एस.टी.एफ. हेतु गुप्त सेवा व्यय में वृद्धि हेतु रूपये 5000000 की आवश्यकता ।
3. प्रदेश के 66 नवसृजित थानों पर महिला हेल्प डेस्क की स्थापना हेतु रूपये 6600000 की आवश्यकता ।
4. राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्प लाईन नं. 1930 के क्रियान्वयन हेतु रूपये 5440000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या **030**

गोपन विभाग(राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य

व्यय)

[वर्ष 2023-2024 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 3)के पृष्ठ संख्या 1-5 तक देखिये]

(₹ लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	995.84	0.01	995.85
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	50.00	...	50.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1045.84	0.01	1045.85
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

	धनराशि
राजस्व लेखा-------	
2053 - जिला प्रशासन	
093 - जिला स्थापनाएं	
03 - कलक्टरी स्थापना	
23 - गुप्त सेवा व्यय	50.00
योग : 03	50.00
योग : 093	50.00
योग : 2053	50.00
योग : राजस्व लेखा	50.00
योग : अनुपूरक	50.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है **:-**

1. नक्सलवादी गतिविधियों की अभिसूचना के संकलन के लिये गुप्त सेवा व्यय हेतु रूपये 5000000 की अतिरिक्त आवश्यकता।

(₹लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	538833.60	375715.85	914549.45
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	65036.91	...	65036.91
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	603870.51	375715.85	979586.36
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

	धनराशि
राजस्व लेखा-------	
2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	
05 - चिकित्सा शिक्षा - प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
001 - निदेशन तथा प्रशासन	
03 - निदेशन	
17 - किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	25.63
29 - अनुरक्षण	200.00
योग : 03	225.63
योग : 001	225.63
105 - एलोपैथी	
03 - शिक्षा	
0313 - चिकित्सा स्नातकों के लिये अनिवार्य रोटेटिंग इन्टर्नशिप छात्रवृत्तियां	
21 - छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	500.00
योग : 0313	500.00
0324 - राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ	
21 - छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	450.00
40 - औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	100.00
41 - भोजन व्यय	120.00

		धनराशि
	योग : 0324	670.00

0326 - राजकीय मेडिकल कालेज बांदा

01 - वेतन		700.00
21 - छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन		400.00
41 - भोजन व्यय		100.00
43 - सामग्री एवं सम्पूर्ति		100.00
58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान		200.00
	योग : 0326	1500.00

0328 - स्रल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, सैफई, इटावा

31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)		3800.00
	योग : 0328	3800.00

0338 - मेडिकल कालेज आगरा

01 - वेतन		2000.00
21 - छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन		2000.00
58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान		200.00
	योग : 0338	4200.00

0339 - गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर

01 - वेतन		2000.00
21 - छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन		1200.00
58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान		500.00
	योग : 0339	3700.00

0340 - मेडिकल कालेज प्रयागराज

01 - वेतन		700.00
21 - छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन		3000.00
58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान		500.00
	योग : 0340	4200.00

		धनराशि
0341 - मेडिकल कालेज मेरठ		
01 - वेतन		356.00
21 - छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन		3200.00
58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान		500.00
	योग : 0341	4056.00
0342 - मेडिकल कालेज झांसी		
01 - वेतन		400.00
21 - छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन		900.00
58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान		500.00
	योग : 0342	1800.00
0343 - मेडिकल कालेज गोरखपुर		
21 - छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन		2000.00
58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान		500.00
	योग : 0343	2500.00
0344 - गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजिकल इन्स्टीट्यूट		
01 - वेतन		400.00
17 - किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व		129.73
21 - छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन		345.00
42 - अन्य व्यय		200.00
43 - सामग्री एवं सम्पूर्ति		200.00
	योग : 0344	1274.73
0348 - मेडिकल कालेज, एटा		
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)		800.00
	योग : 0348	800.00
0349 - मेडिकल कालेज, हरदोई		
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)		1702.07

		धनराशि
	योग : 0349	1702.07
0350 - मेडिकल कालेज, प्रतापगढ		
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)		1467.50
	योग : 0350	1467.50
0351 - मेडिकल कालेज, फतेहपुर		
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)		1926.59
	योग : 0351	1926.59
0352 - मेडिकल कालेज, सिद्धार्थनगर		
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)		1021.38
	योग : 0352	1021.38
0353 - मेडिकल कालेज, देवरिया		
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)		1400.00
	योग : 0353	1400.00
0354 - मेडिकल कालेज, गाजीपुर		
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)		1877.18
	योग : 0354	1877.18
0355 - मेडिकल कालेज, मीरजापुर		
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)		1648.50
	योग : 0355	1648.50
0371 - चिकित्सा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा की स्थापना		
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)		500.00
	योग : 0371	500.00
0374 - राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूं		
21 - छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन		1050.00

		धनराशि
योग : 0374		1050.00
0383 - मेडिकल कालेज, अयोध्या		
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)		500.00
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)		800.00
योग : 0383		1300.00
0386 - राजकीय मेडिकल कॉलेज, जौनपुर		
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)		750.00
योग : 0386		750.00
0393 - फेज-III के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों का संचालन		
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)		21167.33
योग : 0393		21167.33
योग : 03		64811.28
योग : 105		64811.28
योग : 05		65036.91
योग : 2210		65036.91
योग : राजस्व लेखा		65036.91
योग : अनुपूरक		65036.91

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है **:-**

1. कार्यालय महानिदेशक शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, लखनऊ के लिए विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ में दो मल्टीपरपज़ हॉल किराये पर लिये जाने हेतु रूपये 22563000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. राजकीय मेडिकल कॉलेजो के संचालन हेतु विभिन्न मदों हेतु रूपये 4740018000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभिन्न मेडिकल कालेजों के तथा फेज-3 के अन्तर्गत स्वशासी राज चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत/नवनियुक्त कार्मिकों/चिकित्सकों के वेतन भुगतान हेतु उत्तर प्रदेश आक्समिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम रूपये 1741110000 की प्रतिपूर्ति हेतु ।

अनुदान संख्या **033**

चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)

[वर्ष 2023-2024 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 4)के पृष्ठ संख्या 1-19 तक देखिये]

(₹ लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	176634.67	8567.04	185201.71
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	1075.00	1075.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	176634.67	9642.04	186276.71
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

	धनराशि
पूँजी लेखा-------	
4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	
01 - शहरी स्वास्थ्य सेवायें	
800 - अन्य व्यय	
08 - आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना	
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	1000.00
योग : 08	1000.00
योग : 800	1000.00
योग : 01	1000.00
80 - सामान्य	
800 - अन्य व्यय	
03 - आयुर्वेद विभाग में लघु निर्माण कार्य	
25 - लघु निर्माण कार्य	75.00
योग : 03	75.00
योग : 800	75.00
योग : 80	75.00
योग : 4210	1075.00

	धनराशि
योग : पूँजी लेखा	1075.00
योग : अनुपूरक	1075.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. महायोगी गुरूगोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने हेतु एकेडमिक भवन के लिए फर्नीचर, उपकरण एवं अन्य साम्रमी क्रय किये जाने हेतु रूपये 100000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. राजकीय चिकित्सालयों लघु निर्माण कार्य हेतु रूपये 7500000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या **034**

चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)

[वर्ष 2023-2024 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 4)के पृष्ठ संख्या 1-10 तक देखिये]

(₹ लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	66913.95	4000.01	70913.96
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	1105.22	...	1105.22
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	68019.17	4000.01	72019.18
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

	धनराशि
राजस्व लेखा-------	
2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	
02 - शहरी स्वास्थ्य सेवायें-अन्य चिकित्सा पद्धतियां	
102 - होम्योपैथी	
04 - अस्पताल और औषधालय	
0401 - होम्योपैथिक चिकित्सालय	
58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	59.91
योग : 0401	59.91
योग : 04	59.91
योग : 102	59.91
योग : 02	59.91
04 - ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-अन्य चिकित्सा पद्धति	
102 - होम्योपैथी	
03 - अस्पताल और औषधालय	
0301 - होम्योपैथिक चिकित्सालय	
58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1000.00
योग : 0301	1000.00

	धनराशि
योग : 03	1000.00
योग : 102	1000.00
योग : 04	1000.00

05 - चिकित्सा शिक्षा - प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

102 - होम्योपैथी

03 - शिक्षा-

0301 - राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज और अस्पताल

58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान		45.31
	योग : 0301	45.31
	योग : 03	45.31
	योग : 102	45.31
	योग : 05	45.31
	योग : 2210	1105.22
योग : राजस्व लेखा		1105.22
योग : अनुपूरक		1105.22

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है **:-**

1. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में राजकीय होम्योपेथिक चिकित्सालयों तथा राजकीय होम्योपेथिक मेडिकल कॉलेजो में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मिकों के पारिश्रमिक भुगतान हेतु रूपये 110522000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

(₹ लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	109117.38	21737.31	130854.69
	भारित	2.00	...	2.00
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	500.00	2127.72	2627.72
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	109617.38	23865.03	133482.41
	भारित	2.00	...	2.00

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

	धनराशि
राजस्व लेखा-------	
2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	
06 - लोक स्वास्थ्य सेवायें	
001 - निदेशन तथा प्रशासन	
04 - खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय की स्थापना	
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	500.00
योग : 04	500.00
योग : 001	500.00
योग : 06	500.00
योग : 2210	500.00
योग : राजस्व लेखा	500.00
पूँजी लेखा-------	
4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	
04 - लोक स्वास्थ्य	
107 - लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं	
03 - राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशालाओं का उच्चीकरण	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	127.72

		धनराशि
	योग : 03	127.72
	योग : 107	127.72

800 - अन्य व्यय

05 - खाघ एवं औषधि प्रशासन विभाग के मण्डलीय कार्यालय तथा प्रयोगशालाओं का भवन निर्माण

24 - वृहत् निर्माण कार्य		2000.00
	योग : 05	2000.00
	योग : 800	2000.00
	योग : 04	2127.72
	योग : 4210	2127.72
योग : पूँजी लेखा		2127.72
योग : अनुपूरक		2627.72

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. प्रदेश में निर्माणाधीन खाघ/औषधि प्रयोगशालाओं तथा मंडलीय कार्यालयों का निर्माण कार्य पूर्ण करने तथा अन्य अवस्थापना कार्यों हेतु राजस्व पक्ष में रूपये 500.00 लाख तथा पूंजीगत पक्ष में रूपये 2127.72 लाख अर्थात कुल रूपये 262772000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

(₹ लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	2266972.53	267738.04	2534710.57
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	101207.00	5000.00	106207.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	2368179.53	272738.04	2640917.57
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

	धनराशि
राजस्व लेखा-------	
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवायें	
003 - प्रशिक्षण	
03 - नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान	
42 - अन्य व्यय	1200.00
योग : 03	1200.00
योग : 003	1200.00
योग : 2070	1200.00
2215 - जल पूर्ति तथा सफाई	
02 - मल-जल तथा सफाई	
191 - नगर निगमों को सहायता	
03 - अर्बन फ्लड / जलप्लावन नियंत्रण एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना	
35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	1.00
योग : 03	1.00
योग : 191	1.00
योग : 02	1.00
योग : 2215	1.00
2217 - शहरी विकास	

	धनराशि
03 - छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास	
192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता	
07 - प्रदेश के समस्त 200 नगर पालिका परिषदों में स्मार्ट सिटी मिशन टू मूवमेन्ट तथा सेफ सिटी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु	
35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	1.00
योग : 07	1.00
योग : 192	1.00
योग : 03	1.00
05 - अन्य शहरी विकास योजनाये	
800 - अन्य व्यय	
10 - नगर विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं हेतु भूमि के क्रय हेतु अनुदान	
35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	1.00
योग : 10	1.00
योग : 800	1.00
योग : 05	1.00
80 - सामान्य	
800 - अन्य व्यय	
13 - उ.प्र. मातृभूमि अर्पण योजना	
35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	1.00
योग : 13	1.00
14 - आर.सी.यू.ई.एस. लखनऊ के नवीन कैम्पस के अर्द्धनिर्मित प्रशासनिक भवन एवं हॉस्टल का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना	
35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	1.00
योग : 14	1.00
15 - स्वतंत्रता सेनानियों / शहीदों की स्मृति में पार्कों / प्रदर्शनी स्थलों/ सभागार / कार्यालय भवन का निर्माण एवं विकास	
35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	1.00
योग : 15	1.00
16 - प्रदेश के नगरीय निकायों के जल संस्थान तथा मार्ग प्रकाश एवं जलकल के बकाया विद्युत बिलों के भुगतान हेतु एकमुश्त समाधान	
42 - अन्य व्यय	100000.00
योग : 16	100000.00
17 - नगरीय निकायों में सुधार हेतु स्पेशल असिस्टेन्स टू स्टेटस योजना 2023-2024 के अन्तर्गत	
42 - अन्य व्यय	1.00
योग : 17	1.00

	धनराशि
योग : 800	100004.00
योग : 80	100004.00
योग : 2217	100006.00
योग : राजस्व लेखा	101207.00

पूँजी लेखा-------

6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज

02 - मल-जल तथा सफाई

191 - नगर निगमों को सहायता

05 - पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना

30 - निवेश/ऋण	2500.00
योग : 05	2500.00
योग : 191	2500.00

193 - नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता

05 - पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना

30 - निवेश/ऋण	2500.00
योग : 05	2500.00
योग : 193	2500.00
योग : 02	5000.00
योग : 6215	5000.00
योग : पूँजी लेखा	5000.00
योग : अनुपूरक	106207.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है **:-**

1. नगरीय निकायों के कर्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान हेतु रूपये 120000000 की आवश्यकता ।
2. स्टार्म वाटर ड्रेनेज एवं अर्बन फ्लड/जलप्लावन नियंत्रण योजना हेतु रूपये 100000 की व्यवस्था । आवश्यकता अनुसार धनराशि अनुदान के अन्तर्गत सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी ।
3. प्रदेश के समस्त 200 नगर पालिका परिषदों में स्मार्ट सिटी मिशन टू मूवमेन्ट तथा सेफ सिटी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु रूपये 100000 की व्यवस्था । आवश्यकता अनुसार धनराशि अनुदान के अन्तर्गत सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी ।
4. नगर विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं यथा-पेयजलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, नगरीय परिवहन इत्यादि हेतु भूमि क्रय किये जाने हेतु रूपये 100000 की व्यवस्था । आवश्यकता अनुसार धनराशि अनुदान के अन्तर्गत सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी ।
5. उत्तर प्रदेश मातृ भूमि अर्पण योजना हेतु रूपये 100000 की व्यवस्था । आवश्यकता अनुसार धनराशि अनुदान के अन्तर्गत सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी ।
6. आर.सी.यू.ई.एस., लखनऊ के नवीन कैम्पस के अर्द्धनिर्मित प्रशासनिक भवन एवं हॉस्टल का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु रूपये 100000 की व्यवस्था ।

आवश्यकता अनुसार धनराशि अनुदान के अन्तर्गत सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी ।

7. प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जिले के समस्त नगरीय निकायों के उपयोगार्थ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों/शहीदों की स्मृति में पार्कों/प्रदर्शनी स्थलों/सभागार/कार्यालय भवन के निर्माण एवं विकास हेतु रूपये 100000 की व्यवस्था । आवश्यकता अनुसार धनराशि अनुदान के अन्तर्गत सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी ।
8. प्रदेश के नगरीय निकायों के जल संस्थान तथा मार्ग प्रकाश एवं जलकल के बकाया विद्युत बिलों के सापेक्ष यू.पी.पी.सी.एल. को भुगतान हेतु रूपये 10000000000 की आवश्यकता ।
9. स्पेशल असिस्टेन्स टू स्टेटस योजना 2023-24 के अन्तर्गत नगरीय निकायों में सुधार हेतु रूपये 100000 की व्यवस्था । आवश्यकता अनुसार धनराशि अनुदान के अन्तर्गत सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी ।
10. नगरीय निकायों को अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अन्तर्गत नगर निगमों को रूपये 2500.00 लाख तथा नगर पंचायतों/ अधिसूचित क्षेत्र समितियां या उनके समतुल्य निकायों को रूपये 2500.00 लाख अर्थात कुल रूपये 500000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

(₹ लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	10795.27	178275.00	189070.27
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	90.00	90.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	10795.27	178365.00	189160.27
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

	धनराशि
पूँजी लेखा-------	
5053 - नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	
80 - सामान्य	
800 - अन्य व्यय	
05 - नागरिक उड्डयन निदेशालय	
14 - मोटर गाड़ियों का क्रय	90.00
योग : 05	90.00
योग : 800	90.00
योग : 80	90.00
योग : 5053	90.00
योग : पूँजी लेखा	90.00
योग : अनुपूरक	90.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है **:-**

1. नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ.प्र. लखनऊ के प्रयोगार्थ पुराने 03 निष्प्रयोज्य वाहनों के स्थान पर तीन नये वाहन तथा तीन नये वाहनों के क्रय हेतु रूपये 9000000 की आवश्यकता ।

(₹ लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	30647.36	342925.88	373573.24
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	41500.00	41500.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	30647.36	384425.88	415073.24
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

	धनराशि

पूँजी लेखा-------

4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

60 - अन्य भवन

051 - निर्माण

07 - शासकीय भवनों के निर्माण कराये जाने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट / आगणन हेतु

16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान 4000.00

योग : 07 4000.00

योग : 051 4000.00

योग : 60 4000.00

योग : 4059 4000.00

4575 - अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय

60 - अन्य

800 - अन्य व्यय

03 - पूर्वांचल की विशेष योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

14 - मोटर गाड़ियों का क्रय 30000.00

योग : 03 30000.00

04 - बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

24 - वृहत् निर्माण कार्य 7500.00

		धनराशि
	योग : 04	7500.00
	योग : 800	37500.00
	योग : 60	37500.00
	योग : 4575	37500.00
योग : पूँजी लेखा		41500.00
योग : अनुपूरक		41500.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. ई.पी.सी. मोड के अन्तर्गत क्रियान्वित होने वाली परियोजनाओं के लिए परामर्शी फीस के भुगतान हेतु रूपये 400000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र मे स्थित जनपदों में क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं के वित्त पोषण के लिए क्षेत्रीय विकास निधि (पूर्वांचल) हेतु रूपये 3000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र मे स्थित जनपदों में क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं के वित्त पोषण के लिए क्षेत्रीय विकास निधि (बुन्देलखण्ड) हेतु रूपये 750000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

(₹ लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	357916.85	347920.00	705836.85
	भारित	81014.69	750.00	81764.69
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	35759.50	44.50	35804.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	393676.35	347964.50	741640.85
	भारित	81014.69	750.00	81764.69

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

	धनराशि

राजस्व लेखा-------

2014 - न्याय प्रशासन

105 - सिविल और सेशन्स न्यायालय

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0104 - पाक्सो एक्ट के अधीन न्यायालयों में प्रचलित आपराधिक / बलात्कार के आपराधिक वादों के शीघ्र निस्तारण एवं प्राइमरी रेप केसेज के ट्रायल हेतु न्यायालयों का गठन (के.60/रा.40-के.)

52 - पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) 3500.00

योग : 0104 3500.00

योग : 01 3500.00

03 - जिला तथा सेशन न्यायाधीश

52 - पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) 24500.00

योग : 03 24500.00

09 - पारिवारिक न्यायालय

52 - पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) 1700.00

योग : 09 1700.00

15 - महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित मामलों का जल्द निपटारा करने के लिए न्यायालयों की स्थापना

52 - पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) 700.00

		धनराशि
	योग : 15	700.00
16 - कामर्शियल कोर्ट		
52 - पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)		325.00
	योग : 16	325.00
18 - फास्ट ट्रैक कोर्ट		
52 - पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)		400.00
	योग : 18	400.00
23 - भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की सुनवाई हेतु न्यायालय		
52 - पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)		62.50
	योग : 23	62.50
24 - मा0 सांसदों एवं विधायको के लम्बित वादो के शीघ्र निस्तारण के लिये विशेष न्यायालय का गठन		
52 - पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)		22.00
	योग : 24	22.00
89 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश		
8905 - ग्राम न्यायालय		
52 - पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)		400.00
	योग : 8905	400.00
	योग : 89	400.00
	योग : 105	31609.50
106 - लघुवाद न्यायालय		
03 - अधिष्ठान		
52 - पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)		150.00
	योग : 03	150.00
	योग : 106	150.00
108 - दण्ड न्यायालय		
03 - नियमित अधिष्ठान		
52 - पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)		4000.00
	योग : 03	4000.00
	योग : 108	4000.00
	योग : 2014	35759.50

	धनराशि
योग : राजस्व लेखा	35759.50

पूँजी लेखा-------

4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

01 - कार्यालय भवन

051 - निर्माण

10 - उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय भवन का निर्माण

14 - मोटर गाडियों का क्रय	19.50
योग : 10	19.50
योग : 051	19.50
योग : 01	19.50
योग : 4059	19.50

4202 - शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

01 - सामान्य शिक्षा

203 - विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा

03 - उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज

14 - मोटर गाडियों का क्रय	25.00
योग : 03	25.00
योग : 203	25.00
योग : 01	25.00
योग : 4202	25.00
योग : पूँजी लेखा	44.50
योग : अनुपूरक	35804.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. वित्तीय वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की संस्तुतियों के फलस्वरूप न्यायिक अधिकारियों के वेतनादि के भुगतान के लिये उ.प्र. आकक्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम रूपये 3575950000 की प्रतिपूर्ति ।
2. उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के शासकीय कार्यो के उपयोगार्थ वाहन को क्रय किये जाने हेतु रूपये 1950000 की आवश्यकता ।
3. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज के कुलपति के प्रयोजनार्थ वाहन क्रय किये जाने हेतु रूपये 2500000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या **043**

परिवहन विभाग

[वर्ष 2023-2024 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 1-14 तक देखिये]

(₹ लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	62795.08	54676.91	117471.99
	भारित	0.01	...	0.01
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	3109.30	10053.00	13162.30
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	65904.38	64729.91	130634.29
	भारित	0.01	...	0.01

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

	धनराशि
राजस्व लेखा-------	
2041 - वाहन कर	
800 - अन्य व्यय	
03 - स्टेट ट्रान्सपोर्ट अपीलेट अधिष्ठान	
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.00
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1.00
52 - पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	80.00
योग : 03	82.00
योग : 800	82.00
योग : 2041	82.00
3055 - सड़क परिवहन	
190 - सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	
03 - राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में संसद सदस्यों की नि:शुल्क यात्रा की सुविधा के लिए निगम को प्रतिकर का भुगतान	
42 - अन्य व्यय	1.30
योग : 03	1.30
04 - राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए नि:शुल्क यात्रा व्यवस्था के लिये निगम को प्रतिकर का भुगतान	
42 - अन्य व्यय	100.00

	धनराशि
योग : 04	100.00
योग : 190	101.30

800 - अन्य व्यय

03 - मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल

52 - पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	2925.00
योग : 03	2925.00

07 - उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

42 - अन्य व्यय	1.00
योग : 07	1.00
योग : 800	2926.00
योग : 3055	3027.30
योग : राजस्व लेखा	3109.30

पूँजी लेखा-------

4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

01 - कार्यालय भवन

051 - निर्माण

21 - परिक्षेत्रीय / संभागीय / सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों- बरेली,गाजीपुर, फर्रूखाबाद, हापुड़, देवरिया, सम्भल, जौनपुर, चित्रकूट व चन्दौली में सारथी हाल सहित कार्यालय भवन का निर्माण

24 - वृहत् निर्माण कार्य	1.00
योग : 21	1.00

22 - लखनऊ जनपद के हजरतगंज में ओलिवर रोड पर स्थित भूमि पर बहुमंजिला एकीकृत आधुनिक परिवहन भवन का निर्माण

24 - वृहत् निर्माण कार्य	1.00
योग : 22	1.00
योग : 051	2.00
योग : 01	2.00
योग : 4059	2.00

5055 - सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय

190 - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

03 - उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अंशपूंजी विनियोजन

30 - निवेश/ऋण	10000.00

		धनराशि
	योग : 03	10000.00
	योग : 190	10000.00
800 - अन्य व्यय		
03 - परिवहन आयुक्त कार्यालय		
14 - मोटर गाड़ियों का क्रय		50.00
	योग : 03	50.00
06 - उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण		
42 - अन्य व्यय		1.00
	योग : 06	1.00
	योग : 800	51.00
	योग : 5055	10051.00
योग : पूँजी लेखा		10053.00
योग : अनुपूरक		13162.30

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. उ.प्र. स टेट ट्रान्सपोर्ट अपीलेट अधिष्ठान के विभिन्न मदों हेतु रूपये 8200000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में संसद सदस्यों की निशुल्क यात्रा की सुविधा के लिए निगम को प्रतिकर के भुगतान हेतु रूपये 130000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिये नि:शुल्क यात्रा के लिये निगम को प्रतिकर के भुगतान हेतु रूपये 10000000 की आवश्यकता ।
4. राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की संस्तुतियों के फल स्वरूप मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के न्यायिक अधिकारियों के पुनिरिक्षित वेतन के अवशेष भुगतान हेतु रूपये 292500000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग का अधिकरण के संचालन हेतु राजस्व मद में रूपये 100000 की व्यवस्था । आवश्यकता अनुसार धनराशि अनुदान के अन्तर्गत सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी ।
6. परिवहन विभाग के अन्तर्गत परिक्षेत्रीय / संभागीय / सहायक संभागीय परिवहन कार्योलयों-बरेली, गाजीपुर,फरूर्खाबाद, हापुड़ , देवरिया, सम्भल, जौनपुर,चित्रकूट व चंदौली में सारथी हॉल सहित कार्यालय भवन के निर्माण हेतु रूपये 100000 की व्यवस्था । आवश्यकता अनुसार धनराशि अनुदान के अन्तर्गत सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी ।
7. जनपद लखनऊ के हजरतगंज में ओलिवर रोड पर स्थित भूमि पर बहुमंजिला एकीकृत आधुनिक परिवहन भवन के निर्माण हेतु रूपये 100000 की व्यवस्था । आवश्यकता अनुसार धनराशि अनुदान के अन्तर्गत सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी ।
8. उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम के बस बेड़े में वृद्वि /सुदृढीकरण हेतु रूपये 1000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
9. परिवहन आयुक्त कार्यालय के मोटर गाड़ीयों का क्रय किये जाने हेतु रूपये 5000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
10. उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग का अधिकरण के संचालन हेतु पूंजीगत मद में रूपये 100000 की व्यवस्था । आवश्यकता अनुसार धनराशि अनुदान के अन्तर्गत सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी ।

[वर्ष 2023-2024 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 1-11 तक देखिये]

(₹ लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	17990.11	140803.01	158793.12
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	8800.00	11000.00	19800.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	26790.11	151803.01	178593.12
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

	धनराशि
राजस्व लेखा-------	
3452 - पर्यटन	
80 - सामान्य	
800 - अन्य व्यय	
03 - पर्यटन सूचना और प्रचार	
19 - विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	3800.00
योग : 03	3800.00
11 - अयोध्या संरक्षण एवं विकास निधि हेतु अनुदान	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	5000.00
योग : 11	5000.00
योग : 800	8800.00
योग : 80	8800.00
योग : 3452	8800.00
योग : राजस्व लेखा	8800.00
पूँजी लेखा-------	
5452 - पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	
80 - सामान्य	
104 - संवर्धन तथा प्रचार	

		धनराशि
08 - मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास		
24 - वृहत् निर्माण कार्य		10000.00
	योग : 08	10000.00
39 - जनपद गोरखपुर में स्थित पर्यटनों स्थलों का विकास		
24 - वृहत् निर्माण कार्य		1000.00
	योग : 39	1000.00
	योग : 104	11000.00
	योग : 80	11000.00
	योग : 5452	11000.00
योग : पूँजी लेखा		11000.00
योग : अनुपूरक		19800.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. उत्तर प्रदेश मे पर्यटन विभाग के अन्तर्गत पर्यटन सूचना और प्रसार एवं विज्ञापन हेतु रूपये 380000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. अयोध्या संरक्षण एवं विकास निधि के लिये अनुदान हेतु रूपये 500000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों के विकास योजना हेतु रूपये 1000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. जनपद गोरखपुर में स्थित पर्यटन स्थलों के विकास हेतु रूपये 100000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या **046**

प्रशासनिक सुधार विभाग

[वर्ष 2023-2024 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 1-5 तक देखिये]

(₹ लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	2610.38	...	2610.38
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	186.80	...	186.80
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	2797.18	...	2797.18
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

	धनराशि
राजस्व लेखा-------	
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवायें	
800 - अन्य व्यय	
03 - उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का गठन	
29 - अनुरक्षण	20.00
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	50.00
49 - चिकित्सा व्यय	10.00
52 - पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	28.80
58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	78.00
योग : 03	186.80
योग : 800	186.80
योग : 2070	186.80
योग : राजस्व लेखा	186.80
योग : अनुपूरक	186.80

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है **:-**

1. राज्य सूचना आयोग के अधिष्ठान सम्बन्धी विभिन्न मदों हेतु रूपये 18680000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

(₹ लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	76853.84	20046.81	96900.65
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	435.97	...	435.97
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	77289.81	20046.81	97336.62
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

	धनराशि
राजस्व लेखा-------	
2203 - तकनीकी शिक्षा	
001 - निदेशन तथा प्रशासन	
03 - तकनीकी शिक्षा तथा निदेशालय	
29 - अनुरक्षण	25.00
योग : 03	25.00
04 - क्षेत्रीय कार्यालय	
49 - चिकित्सा व्यय	5.57
योग : 04	5.57
योग : 001	30.57
105 - बहुशिल्प विद्यालय	
03 - सामान्य पालीटेक्निक	
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	200.00
58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	200.00
योग : 03	400.00
योग : 105	400.00
112 - इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान	
17 - प्रदेश में संचालित निजी क्षेत्र में चिकित्सीय, अभियंत्रण संस्थाओं में परास्नातक, स्नातक व डिप्लोमा पाठयक्रम तथा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित व्यवसायिक पाठयक्रमों में निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रवेश तथा फीस निर्धारण हेतु	
58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	5.40

	धनराशि
योग : 17	5.40
योग : 112	5.40
योग : 2203	435.97
योग : राजस्व लेखा	435.97
योग : अनुपूरक	435.97

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. प्राविधिक शिक्षा निदेशालय में प्रशासनिक भवन की मरम्मत एवं रख रखाव हेतु रूपये 2500000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. प्राविधिक शिक्षा विभाग के क्षेत्रिय कार्यालयों के कार्मिकों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ती हेतु रूपये 557000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. सामान्य पॉलिटेक्निक के अतिथि व्याख्याताओं के पारिश्रमिक व्यय हेतु रूपये 20000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. सामान्य पालीटिक्नि नक में आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु रूपये 20000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. प्रवेश एवं फीस नियमन समिति के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के पारिश्रमिक हेतु रूपये 540000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या **049**

महिला एवं बाल कल्याण विभाग

[वर्ष 2023-2024 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 1-24 तक देखिये]

(₹ लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	1242454.98	22110.00	1264564.98
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	300.00	300.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1242454.98	22410.00	1264864.98
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

	धनराशि
पूँजी लेखा-------	
4235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	
02 - समाज कल्याण	
103 - महिला कल्याण	
06 - विभागीय संस्थाओं / गृहों का निर्माण	
25 - लघु निर्माण कार्य	200.00
योग : 06	200.00
07 - मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के अन्तर्गत राजकीय संस्थाओं / गृहों का भवन निर्माण	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	100.00
योग : 07	100.00
योग : 103	300.00
योग : 02	300.00
योग : 4235	300.00
योग : पूँजी लेखा	300.00
योग : अनुपूरक	300.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है **:-**

1. प्रदेश में संचालित गृहों / संस्थाओं में लघु निर्माण कार्य कराये जाने हेतु रूपये 20000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजनान्तर्गत राजकीय संस्थाओ / गृहों के भवन निर्माण हेतु रूपये 10000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

(₹लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	420404.51	61090.00	481494.51
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	200.00	...	200.00
	भारित	85436.00	...	85436.00
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	420604.51	61090.00	481694.51
	भारित	85436.00	...	85436.00

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

			धनराशि
राजस्व लेखा-------			
2049 - ब्याज अदायगियां			
05 - आरक्षित निधियों पर ब्याज			
105 - सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों पर ब्याज			
03 - एस.डी.आर.एफ. पर देय ब्याज			
32 - ब्याज/लाभांश		मतदेय	--
		भारित	72212.00
	योग : 03	मतदेय	- -
		भारित	72212.00
04 - एस.डी.एम.एफ. पर देय ब्याज			
32 - ब्याज/लाभांश		मतदेय	--
		भारित	13224.00
	योग : 04	मतदेय	- -
		भारित	13224.00
	योग : 105	मतदेय	- -
		भारित	85436.00
	योग : 05	मतदेय	- -
		भारित	85436.00
	योग : 2049	मतदेय	- -
		भारित	85436.00

2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

		धनराशि
80 - सामान्य		
800 - अन्य व्यय		
07 - जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण		
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)		200.00
योग : 07		200.00
योग : 800		200.00
योग : 80		200.00
योग : 2245		200.00
योग : राजस्व लेखा	मतदेय	200.00
	भारित	85436.00
योग : अनुपूरक	मतदेय	200.00
	भारित	85436.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है **:-**

1. राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) देय ब्याज हेतु रूपये 722.12 करोड़ एवं राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (एस.डी.एम.एफ.) देय ब्याज हेतु रूपये 132.24 करोड़ अर्थात कुल धनराशि रूपये 8543600000 की आवश्यकता ।
2. जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के व्ययों को वहन किये जाने हेतु रूपये 20000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

(₹ लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	474434.27	6246.85	480681.12
	भारित	22.50	7.88	30.38
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	20667.12	...	20667.12
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	495101.39	6246.85	501348.24
	भारित	22.50	7.88	30.38

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

	धनराशि
राजस्व लेखा-------	
2029 - भू-राजस्व	
800 - अन्य व्यय	
05 - भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन प्राधिकरण	
52 - पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	667.12
योग : 05	667.12
योग : 800	667.12
योग : 2029	667.12
2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	
60 - अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम	
110 - अन्य बीमा योजनायें	
06 - "मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना"	
42 - अन्य व्यय	20000.00
योग : 06	20000.00
योग : 110	20000.00
योग : 60	20000.00
योग : 2235	20000.00

	धनराशि
योग : राजस्व लेखा	20667.12
योग : अनुपूरक	20667.12

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है **:-**

1. राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा की गयी वेतन संस्तुतियों के फलस्वरूप भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुन० र्यस्थापन प्राधिकरण के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा/ उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों के वेतन / एरियर का भुगतान किये जाने हेतु रूपये 66712000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. उ.प्र. कृषकों के लिये संचालित मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना हेतु रूपये 2000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

(₹लाख में **)**

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	14348.50	13096.00	27444.50
	भारित	671.50	505.00	1176.50
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	...	...
	भारित	...	110.33	110.33
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	14348.50	13096.00	27444.50
	भारित	671.50	615.33	1286.83

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में **)**

			धनराशि
पूँजी लेखा-------			
4216 - आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
01 - सरकारी रिहायशी भवन			
700 - अन्य आवास			
05 - निर्माण-अन्य			
0538 - राजभवन, लखनऊ			
25 - लघु निर्माण कार्य		मतदेय	--
		भारित	110.33
	योग : 0538	मतदेय	- -
		भारित	110.33
	योग : 05	मतदेय	- -
		भारित	110.33
	योग : 700	मतदेय	- -
		भारित	110.33
	योग : 01	मतदेय	- -
		भारित	110.33
	योग : 4216	मतदेय	- -
		भारित	110.33
	योग : पूँजी लेखा	मतदेय	- -
		भारित	110.33
	योग : अनुपूरक	मतदेय	- -
		भारित	110.33

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. राजभवन परिसर में राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना एवं अन्य विविध कार्यों हेतु रूपये 11033000 की आवश्यकता ।

(₹ लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	12500.00	412433.00	424933.00
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	3940.50	3940.50
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	12500.00	416373.50	428873.50
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

	धनराशि
पूँजी लेखा-------	
5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04 - जिला तथा अन्य सड़कें	
101 - पुल	
04 - सामान्य सेतु निर्माण (राज्य सेक्टर)	
0405 - शहरी क्षेत्रों में सेतुओं का निर्माण (नये कार्य)	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	3939.50
योग : 0405	3939.50
0406 - शहरी क्षेत्रो में सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य)	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	1.00
योग : 0406	1.00
योग : 04	3940.50
योग : 101	3940.50
योग : 04	3940.50
योग : 5054	3940.50

	धनराशि
योग : पूँजी लेखा	3940.50
योग : अनुपूरक	3940.50

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. शहरी क्षेत्रों में सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों हेतु रूपये 393950000 की आवश्यकता ।
2. शहरी क्षेत्रों में सेतुओं के निर्माण के चालू कार्यों हेतु रूपये 100000 की व्यवस्था । आवश्यकता अनुसार धनराशि अनुदान के अन्तर्गत सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी ।

(₹ लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	913260.82	1758252.00	2671512.82
	भारित	5011.18	3000.00	8011.18
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	350001.00	75000.00	425001.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1263261.82	1833252.00	3096513.82
	भारित	5011.18	3000.00	8011.18

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

	धनराशि
राजस्व लेखा-------	
3054 - सड़क तथा सेतु	
04 - जिला तथा अन्य सड़कें	
337 - सड़क निर्माण कार्य	
03 - अनुरक्षण एवं मरम्मत	
0301 - प्रदेश के मार्गों /पुलियों का अनुरक्षण कार्य	
29 - अनुरक्षण	150000.00
योग : 0301	150000.00
0332 - प्रदेश के ग्रामीण मार्गों /पुलियों का अनुरक्षण कार्य	
29 - अनुरक्षण	150000.00
योग : 0332	150000.00
योग : 03	300000.00
05 - राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण	
29 - अनुरक्षण	25000.00
योग : 05	25000.00
08 - चीनी मिल परिक्षेत्र में मार्गो की मरम्मत /नवीनीकरण/ विशेष मरम्मत कार्य	
29 - अनुरक्षण	1.00

	धनराशि
योग : 08	1.00
योग : 337	325001.00
योग : 04	325001.00

80 - सामान्य

797 - आरक्षित निधि/जमा लेखाओं को /से अन्तरण

04 - राज्य सड़क निधि को अन्तरण

48 - अन्तर्लेखा संक्रमण	25000.00
योग : 04	25000.00
योग : 797	25000.00
योग : 80	25000.00
योग : 3054	350001.00
योग : राजस्व लेखा	350001.00

पूँजी लेखा-------

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

03 - राज्य राजमार्ग

337 - सड़क निर्माण कार्य

13 - एकमुश्त व्यवस्था

1354 - औद्योगिक / लाजिस्टिक पार्क हेतु 04 लेन मार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढीकरण / निर्माण का कार्य

24 - वृहत् निर्माण कार्य	25000.00
योग : 1354	25000.00
योग : 13	25000.00
योग : 337	25000.00
योग : 03	25000.00

04 - जिला तथा अन्य सड़कें

337 - सड़क निर्माण कार्य

58 - राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण / सुदृढीकरण / चौड़ीकरण

24 - वृहत् निर्माण कार्य	25000.00
योग : 58	25000.00

	धनराशि
योग : 337	25000.00
योग : 04	25000.00

80 - सामान्य

797 - आरक्षित निधि जमा लेखाओं को / से अन्तरण

03 - राज्य सड़क निधि को अन्तरण

48 - अन्तर्लेखा संक्रमण	25000.00
योग : 03	25000.00
योग : 797	25000.00
योग : 80	25000.00
योग : 5054	75000.00
योग : पूँजी लेखा	75000.00
योग : अनुपूरक	425001.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है **:-**

1. प्रदेश के मार्गों / पुलियों का अनुरक्षण हेतु रूपये 15000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. प्रदेश के ग्रामीण मार्गों / पुलियों के अनुरक्षण हेतु रूपये 15000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत सड़कों के अनुरक्षण हेतु रूपये 2500000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. चीनी मिल परिक्षेत्र में मार्गों की मरम्मत / नवीनीकरण / विशेष मरम्मत कार्य हेतु रूपये 100000 की व्यवस्था । आवश्यकता अनुसार धनराशि अनुदान के अन्तर्गत सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी ।
5. राज्य सड़क निधि को अन्तरण हेतु रूपये 2500000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
6. औद्योगिक/लाजिस्टिक पार्क हेतु 04 लेन मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण/निर्माण हेतु रूपये 2500000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
7. राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण/ सुदृढ़ीकरण हेतु रूपये 2500000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
8. राज्य सड़क निधि में अन्तरण हेतु रूपये 2500000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

(₹ लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	91788.39	99049.29	190837.68
	भारित	13.70	...	13.70
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	5500.00	5500.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	91788.39	104549.29	196337.68
	भारित	13.70	...	13.70

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

	धनराशि
पूँजी लेखा-------	
4406 - वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय	
01 - वानिकी	
102 - समाज तथा फार्म वानिकी	
03 - समाजिक वानिकी (जिला योजना)	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	5000.00
योग : 03	5000.00
योग : 102	5000.00
योग : 01	5000.00
02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव	
110 - वन्य जीव	
13 - संरक्षित क्षेत्रों का प्राकृतवास एवं वन्यजीव प्रबन्धन योजना	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	50.00
25 - लघु निर्माण कार्य	400.00
42 - अन्य व्यय	50.00
योग : 13	500.00
योग : 110	500.00
योग : 02	500.00

		धनराशि
	योग : 4406	5500.00
योग : पूँजी लेखा		5500.00
योग : अनुपूरक		5500.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है **:-**

1. वित्तीय वर्ष 2023-24 में वृक्षारोपण, प्रथम वर्ष अनुरक्षण व द्वितीय वर्ष वृक्षारोपण के रख-रखाव तथा आगामी वर्षाकाल 2024 में वृक्षारोपण के लिये अग्रिम मृदा कार्य हेतु रूपये 500000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. संरक्षित क्षेत्रों के प्राकृतवास एवं बिहार प्रबन्धन योजना के क्रियान्वयन हेतु रूपये 50000000 की आवश्यकता ।

(₹ लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	2587531.65	16500.00	2604031.65
	भारित	4962277.15	2675056.30	7637333.45
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	61638.85	...	61638.85
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	2649170.50	16500.00	2665670.50
	भारित	4962277.15	2675056.30	7637333.45

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

	धनराशि
राजस्व लेखा-------	
2217 - शहरी विकास	
80 - सामान्य	
800 - अन्य व्यय	
03 - राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का नगर निकायों को अन्तरण	
42 - अन्य व्यय	4000.00
योग : 03	4000.00
05 - राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का डेडिकेटेड अरबन ट्रांसपोर्ट फण्ड में अन्तरण	
42 - अन्य व्यय	27638.85
योग : 05	27638.85
06 - राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों एवं उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद को अन्तरण	
42 - अन्य व्यय	30000.00
योग : 06	30000.00
योग : 800	61638.85
योग : 80	61638.85
योग : 2217	61638.85
योग : राजस्व लेखा	61638.85

	धनराशि
योग : अनुपूरक	61638.85

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का नगर निकायों को अन्तरण हेतु रूपये 400000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का डेडिकेटेड अरबन ट्रान्सपोर्ट फण्ड में अन्तरण हेतु रूपये 2763885000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का विकास प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों एवं उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद को अन्तरण हेतु रूपये 3000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

(₹ लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	34912.77	157.00	35069.77
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	27.00	27.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	34912.77	184.00	35096.77
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

	धनराशि
पूँजी लेखा-------	
4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
800 - अन्य व्यय	
03 - खजाना स्थापना - मुख्य	
14 - मोटर गाड़ियों का क्रय	27.00
योग : 03	27.00
योग : 800	27.00
योग : 4070	27.00
योग : पूँजी लेखा	27.00
योग : अनुपूरक	27.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है **:-**

1. निदेशक कोषागार कार्यालय में वाहन क्रय हेतु रूपये 2700000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

(₹ लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	40709.39	1340.91	42050.30
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	6458.97	6458.97
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	40709.39	7799.88	48509.27
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

	धनराशि
पूँजी लेखा-------	
4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
01 - कार्यालय भवन	
051 - निर्माण	
05 - वित्त विभाग के अधीन समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयों हेतु एकीकृत भवन का निर्माण	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	500.00
योग : 05	500.00
योग : 051	500.00
योग : 01	500.00
योग : 4059	500.00
4075 - विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
190 - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों मे निवेश	
03 - राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों / निगमों / स्वायतशासी संस्थाओं तथा सहकारी संस्थाओं के पुनर्वासन हेतु अंशपूंजी विनियोजन	
0301 - आर्यवर्त बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) का पुनर्पूंजीकरण	
30 - निवेश/ऋण	4176.12
योग : 0301	4176.12
0302 - बड़ौदा यू.पी. बैंक(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) का पुनर्पूंजीकरण	
30 - निवेश/ऋण	1782.85

		धनराशि
	योग : 0302	1782.85
	योग : 03	5958.97
	योग : 190	5958.97
	योग : 4075	5958.97
योग : पूँजी लेखा		6458.97
योग : अनुपूरक		6458.97

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है **:-**

1. वित्त विभाग के अन्तर्गत कार्यरत विभिन्न कार्यालयों के लिये गोमती नगर विस्तार, लखनऊ में वित्त भवन के निर्माण हेतु रूपये 50000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. आर्यवृत्त बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) के पुनर्पूंजीकरण हेतु रूपये 417612000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. बड़ौदा यू.पी. बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) के पुनर्पूंजीकरण हेतु रूपये 178285000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या **067**

विधान परिषद् सचिवालय

[वर्ष 2023-2024 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 7)के पृष्ठ संख्या 1-8 तक देखिये]

(₹ लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	7830.25	251.42	8081.67
	भारित	116.05	...	116.05
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	487.63	487.63
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	7830.25	739.05	8569.30
	भारित	116.05	...	116.05

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

	धनराशि
पूँजी लेखा-------	
4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
800 - अन्य व्यय	
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	
0101 - विधान परिषद सचिवालय में "ई-विधान" व्यवस्था (के.60/रा.40 - के.)	
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	151.95
योग : 0101	151.95
योग : 01	151.95
04 - विधान परिषद सदन में 04 डेस्टामेक सीमलेस ग्राफिक मानीटर सिस्टम	
42 - अन्य व्यय	234.39
योग : 04	234.39
89 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	
8901 - विधान परिषद सचिवालय में "ई-विधान" व्यवस्था	
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	101.29
योग : 8901	101.29
योग : 89	101.29

		धनराशि
	योग : 800	487.63
	योग : 4070	487.63
योग : पूँजी लेखा		487.63
योग : अनुपूरक		487.63

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. विधान परिषद सचिवालय में "ई-विधान" परियोजना के लिये केन्द्रांश हेतु रूपये 151.95 लाख तथा राज्यांश हेतु रूपये 101.29 लाख अर्थात कुल रूपये 25324000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. विधान परिषद सदन की कार्यवाही के साफ व स्पष्ट प्रसारण के लिये 04 डेस्टामेक सीमलेस ग्राफिक मानीटर सिस्टम लगाये जाने हेतु रूपये 23439000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या **068**

विधान सभा सचिवालय

[वर्ष 2023-2024 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 7)के पृष्ठ संख्या 1-8 तक देखिये]

(₹ लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	26027.38	5400.30	31427.68
	भारित	385.39	55.00	440.39
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	162.50	475.54	638.04
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	26189.88	5875.84	32065.72
	भारित	385.39	55.00	440.39

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

	धनराशि
राजस्व लेखा-------	
2011 - संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	
02 - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	
101 - विधान सभा	
03 - विधान सभा	
29 - अनुरक्षण	162.50
योग : 03	162.50
योग : 101	162.50
योग : 02	162.50
योग : 2011	162.50
योग : राजस्व लेखा	162.50
पूँजी लेखा-------	
4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
80 - सामान्य	
800 - अन्य व्यय	
05 - विधान सभा परिसर में डिजिटल सी0 सी0 टी0 वी0 सर्विलांस कैमरा प्रणाली की स्थापना	
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	240.59

	धनराशि
योग : 05	240.59
योग : 800	240.59
योग : 80	240.59
योग : 4059	240.59

4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

800 - अन्य व्यय

05 - विधान सभा

46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय		234.95
	योग : 05	234.95
	योग : 800	234.95
	योग : 4070	234.95
योग : पूँजी लेखा		475.54
योग : अनुपूरक		638.04

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है **:-**

1. विधान सभा मण्डप एवं टण्डन हॉल में स्थापित आधुनिक डिजिटल ध्वनि प्रणाली के वार्षिक अनुरक्षण हेतु रूपये 16250000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. विधान सभा में सी.सी.टी.वी. कैमरा प्रणाली के विस्तार हेतु रूपये 24059000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. विधानसभा डिजिटल गलियारे में मा. राष्ट्रपति जी एवं मा. प्रधानमंत्री जी के डिजिटल चित्रों की स्थापना हेतु हॉरिजोन्टल स्क्रीन सहित समस्त मा. सदस्यों के जीवन परिचय को सर्वजन को सुलभ कराये जाने हेतु दो कियोस्क तथा 2 ग्राफिक मानीटर स्थापित कराये जाने हेतु रूपये 23495000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या **069**

व्यावसायिक शिक्षा विभाग

[वर्ष 2023-2024 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 7)के पृष्ठ संख्या 1-10 तक देखिये]

(₹ लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	145949.50	58321.00	204270.50
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	9251.76	9251.76
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	145949.50	67572.76	213522.26
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

	धनराशि
पूँजी लेखा--------	
4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
203 - रोजगार	
06 - प्रदेश के 150 राजकीय औघोगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आई.) के उन्नयन अन्तर्गत आधुनिक कार्यशालाओं व थ्योरी कक्षों का	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	9251.76
योग : 06	9251.76
योग : 203	9251.76
योग : 4250	9251.76
योग : पूँजी लेखा	9251.76
योग : अनुपूरक	9251.76

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है **:-**

1. राजकीय औघोगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन हेतु आधुनिक कार्यशालाओं एवं थ्योरी कक्षों के निर्माण हेतु रूपये 925176000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

(₹लाख में **)**

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	7044151.78	317253.47	7361405.25
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	26832.00	1634.12	28466.12
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	7070983.78	318887.59	7389871.37
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में **)**

	धनराशि
राजस्व लेखा-------	
2202 - सामान्य शिक्षा	
01 - प्रारम्भिक शिक्षा	
102 - अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता	
31 - नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा	
3105 - अशासकीय प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे अलाभित समूह एवं कमजोर वर्ग के कक्षा-1 से 8 के बच्चों की शिक्षा पर आने वाले व्यय के निमित्त सहायता	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	26832.00
योग : 3105	26832.00
योग : 31	26832.00
योग : 102	26832.00
योग : 01	26832.00
योग : 2202	26832.00
योग : राजस्व लेखा	26832.00
पूँजी लेखा-------	
4202 - शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
01 - सामान्य शिक्षा	

		धनराशि
201 - प्रारम्भिक शिक्षा -		
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ		
0110 - पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना (के.60/रा.40-के.)		
24 - वृहत् निर्माण कार्य		980.48
	योग : 0110	980.48
	योग : 01	980.48
89 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश		
8910 - पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना		
24 - वृहत् निर्माण कार्य		653.64
	योग : 8910	653.64
	योग : 89	653.64
	योग : 201	1634.12
	योग : 01	1634.12
	योग : 4202	1634.12
	योग : पूँजी लेखा	1634.12
	योग : अनुपूरक	28466.12

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है **:-**

1. अशासकीय प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे अलाभित समूह एवं कमजोर वर्ग के कक्षा-1 से 8 तक के बच्चों की शिक्षा पर व्यय हेतु रूपये 2683200000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. पी.एम.श्री योजना के लिये केन्द्रांश हेतु रूपये 980.48 लाख एवं राज्यांश रूपये 653.64 लाख अर्थात कुल रूपये 163412000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

(₹लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	1564580.42	143717.86	1708298.28
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	7864.19	41217.77	49081.96
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1572444.61	184935.63	1757380.24
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

	धनराशि
राजस्व लेखा-------	
2071 - पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ	
01 - सिविल	
117 - निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम के लिए सरकारी अंशदान	
04 - नियोक्ता अंशदान	
0401 - स्वायत्तशासी संस्थानों के कर्मचारियों के लिए नियोक्ता अंशदान	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	243.32
योग : 0401	243.32
योग : 04	243.32
योग : 117	243.32
योग : 01	243.32
योग : 2071	243.32
2202 - सामान्य शिक्षा	
02 - माध्यमिक शिक्षा	
108 - परीक्षाएं	
03 - माध्यमिक शिक्षा परिषद	
23 - गुप्त सेवा व्यय	2400.00
42 - अन्य व्यय	2500.00

	धनराशि
योग : 03	4900.00
योग : 108	4900.00

800 - अन्य व्यय

13 - सैनिक स्कूल का संचालन

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	2035.30
योग : 13	2035.30

29 - उ.प्र. सैनिक स्कूल, गोरखपुर

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	500.00
योग : 29	500.00
योग : 800	2535.30
योग : 02	7435.30
योग : 2202	7435.30

2204 - खेल कूद तथा युवा सेवायें

104 - खेलकूद

04 - विद्यालयों के बाहर खेलकूद तथा अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों तथा युवक कल्याण हेतु व्यवस्था

42 - अन्य व्यय	185.57
योग : 04	185.57
योग : 104	185.57
योग : 2204	185.57
योग : राजस्व लेखा	7864.19

पूँजी लेखा-------

4202 - शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

01 - सामान्य शिक्षा

202 - माध्यमिक शिक्षा

05 - राजकीय उ.मा.विद्यालयों का भवन निर्माण, विस्तार, विद्युतीकरण एवं भूमि/भवन क्रय (जिला योजना)

24 - वृहत् निर्माण कार्य	38300.00
योग : 05	38300.00

07 - एन.सी.सी. प्रशिक्षण अकादमी, गोरखपुर

24 - वृहत् निर्माण कार्य	1200.00
योग : 07	1200.00

32 - नवीन केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना / भवन का निर्माण

	धनराशि
24 - वृहत् निर्माण कार्य	428.00
60 - भूमि क्रय	789.77
योग : 32	1217.77

33 - नवीन राजकीय संस्कृत माध्यमिक विघालय (उत्तर मध्यमा स्तर तक) एवं 05 नवीन राजकीय संस्कृत माध्यमिक विघालय (उत्तर मध्यमा स तर तक) (100 बेडेड छात्रावास सहित)

24 - वृहत् निर्माण कार्य	500.00
योग : 33	500.00
योग : 202	41217.77
योग : 01	41217.77
योग : 4202	41217.77
योग : पूँजी लेखा	41217.77
योग : अनुपूरक	49081.96

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है **:-**

1. सैनिक स्कूल अमेठी,मैनपुरी एवं झांसी में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के नियोक्ता अंशदान हेतु रूपये 24332000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा के प्रश्नपत्रों की आपूर्ति (ग्रुप सेवा व्यय) हेतु रूपये 240000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा एवं नकल विहीन परीक्षा के आयोजन हेतु रूपये 250000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. सैनिक स्कूल मैनपुरी, अमेठी एवं झांसी में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु रूपये 203530000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. उ.प्र. सैनिक स्कूल गोरखपुर हेतु रूपये 50000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
6. राष्ट्रीय एथलेटिक्सअण्डर-14 वर्ष बालक/बालिका प्रतियोगिता के आयोजन तथा राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के 22 खेलों में प्रतिभाग तथा विघालयों के बाहर खेलकूद तथा अन्य शैक्षिक गतिविधियों हेतु रूपये 18557000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
7. राजकीय उच्चतर माध्यमिक विघालयों के भवन निर्माण, विस्तार, विघुतीकरण एवं भूमि/भवन क्रय हेतु रूपये 3830000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
8. एन.सी.सी. प्रशिक्षण अकादमी, गोरखपुर की स्थापना हेतु रूपये 120000000 की आवश्यकता ।
9. जनपद गोरखपुर के हिन्दुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड के परिसर में नवीन केन्द्रीय विघालय भवन के निर्माण हेतु रूपये 42800000 की आवश्यकता ।
10. जनपद वाराणसी के ग्राम-भन्दहाकलां, परगना-कटेहर, तहसील-सदर में नवीन केन्द्रीय विघालय की स्थापना हेतु भूमि क्रय किये जाने हेतु रूपये 78977000 की आवश्यकता ।
11. 11 नवीन राजकीय संस्कृत माध्यमिक विघालय एवं 05 नवीन राजकीय संस्कृत माध्यमिक विघालय (100 बेडेड छात्रावास सहित) की स्थापना हेतु रूपये 50000000 की आवश्यकता ।

(₹ लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	400353.24	61664.49	462017.73
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	77.50	22206.17	22283.67
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	400430.74	83870.66	484301.40
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

	धनराशि
राजस्व लेखा-------	
2202 - सामान्य शिक्षा	
03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चत्तर शिक्षा	
800 - अन्य व्यय	
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनायें	
0121 - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत मैनेजमेन्ट मॉनीटरिंग इवैल्यूएशन एण्ड रिसर्च (के.60/रा.40-के.)	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	77.50
योग : 0121	77.50
योग : 01	77.50
योग : 800	77.50
योग : 03	77.50
योग : 2202	77.50
योग : राजस्व लेखा	77.50
पूँजी लेखा-------	
4202 - शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
01 - सामान्य शिक्षा	

	धनराशि
203 - विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा	
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनायें	
0122 - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत लिंग समावेश एवं समानता पहल हेतु (के.60/रा.40-के.)	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	46.50
योग : 0122	46.50
0123 - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत विश्वविद्यालय बहुअनुशासनात्मक शिक्षा और अनुसंधान (के.60/रा.40-के.)	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	465.00
योग : 0123	465.00
0124 - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत मॉडल डिग्री कालेजों की स्थापना (के.60/रा.40-के.)	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	186.00
योग : 0124	186.00
0125 - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों को आधारभूत सुविधायें (के.60/रा.40-के.)	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	186.00
योग : 0125	186.00
0126 - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत राज्यविश्वविद्यालयों के लिये आधारभूत सुविधायें (के.60/रा.40-के.)	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	232.50
योग : 0126	232.50
योग : 01	1116.00
09 - राजकीय महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण, विस्तार एवं विद्युतीकरण	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	2100.71
योग : 09	2100.71
11 - सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	1000.00
योग : 11	1000.00
16 - राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़	

	धनराशि
42 - अन्य व्यय	500.00
योग : 16	500.00

17 - राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

42 - अन्य व्यय	500.00
योग : 17	500.00

31 - जनपद इलाहाबाद में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना

60 - भूमि क्रय	15745.46
योग : 31	15745.46

35 - जनपद सहारनपुर में मॉ शाकुम्‍ भरी राज्य विश्वविद्यालय

42 - अन्य व्यय	500.00
योग : 35	500.00

89 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश

8922 - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत लिंग समावेश एवं समानता पहल हेतु

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	31.00
योग : 8922	31.00

8923 - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत विश्वविद्यालय बहुअनुशासनात्मक शिक्षा और अनुसंधान

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	310.00
योग : 8923	310.00

8924 - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत मॉडल डिग्री कालेजों की स्थापना

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	124.00
योग : 8924	124.00

8925 - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों को आधारभूत सुविधायें

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	124.00
योग : 8925	124.00

8926 - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत राज्यविश्वविद्यालयों के लिये आधारभूत सुविधायें

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	155.00
योग : 8926	155.00

	धनराशि
योग : 89	744.00
योग : 203	22206.17
योग : 01	22206.17
योग : 4202	22206.17
योग : पूँजी लेखा	22206.17
योग : अनुपूरक	22283.67

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पी.एम-यू.एस.एच.ए.) योजनान्तर्गत विभिन्न योजनाओं हेतु राजस्व मद में रूपये 77.50 लाख एवं पूंजीगत मद में रूपये 1860.00 लाख अर्थात कुल रूपये 193750000 की आवश्यकता ।
2. महन्त अवैद्यनाथ राजकीय महाविद्यालय जंगल कौडिया, गोरखपुर में अतिरिक्त निर्माण हेतु रूपये 64373000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. पं. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय सहजनवा, गोरखपुर में अतिरिक्त निर्माण हेतु रूपये 76543000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. इन्द्रासन सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजकीय महाविद्यालय पचवस, बस्ती हेतु रूपये 69155000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के विभिन्न भवनों का जीर्णोद्धार हेतु रूपये 100000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
6. महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ के लिये फर्नीचर एवं उपकरणों के क्रय हेतु रूपये 50000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
7. राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ के लिये फर्नीचर एवं उपकरणों के क्रय हेतु रूपये 50000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
8. प्रो. राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज की स्थापना हेतु रूपये 1574546000 की आवश्यकता ।
9. मॉ शाकुम्भरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर के लिये फर्नीचर एवं उपकरणों के क्रय हेतु रूपये 50000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

[वर्ष 2023-2024 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 8)के पृष्ठ संख्या 1-19 तक देखिये]

(₹ लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	26953.87	4237.06	31190.93
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	2686.31	2686.31
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	26953.87	6923.37	33877.24
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

	धनराशि

पूँजी लेखा-------

4202 - शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

01 - सामान्य शिक्षा

201 - प्रारम्भिक शिक्षा -

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0101 - जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण (के.60/रा.40-के.)

25 - लघु निर्माण कार्य 816.55

योग : 0101 816.55

0102 - राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (के. 75/रा. 25- के.)

25 - लघु निर्माण कार्य 796.04

योग : 0102 796.04

योग : 01 1612.59

89 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश

8901 - जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण

25 - लघु निर्माण कार्य 544.36

योग : 8901 544.36

		धनराशि
8902 - राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्		
25 - लघु निर्माण कार्य		529.36
	योग : 8902	529.36
	योग : 89	1073.72
	योग : 201	2686.31
	योग : 01	2686.31
	योग : 4202	2686.31
योग : पूँजी लेखा		2686.31
योग : अनुपूरक		2686.31

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है **:-**

1. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के सुदृढ़ीकरण के लिये केन्द्रांश मद में रूपये 816.55 लाख एवं राज्यांश मद में रूपये 544.36 लाख अर्थात कुल रूपये 136091000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के सुदृढ़ीकरण के लिये केन्द्रांश मद में रूपये 796.04 लाख एवं राज्यांश मद में रूपये 529.36 लाख अर्थात कुल रूपये 132540000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

(₹ लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	58142.49	11518.26	69660.75
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	3022.75	8448.06	11470.81
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	61165.24	19966.32	81131.56
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

	धनराशि
राजस्व लेखा-------	
2230 - श्रम, रोजगार और कौशल विकास	
01 - श्रम	
111 - श्रमिक के लिये सामाजिक सुरक्षा	
04 - उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि की जमा धनराशि की वापसी	
42 - अन्य व्यय	3022.75
योग : 04	3022.75
योग : 111	3022.75
योग : 01	3022.75
योग : 2230	3022.75
योग : राजस्व लेखा	3022.75
पूँजी लेखा-------	
4202 - शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
01 - सामान्य शिक्षा	
202 - माध्यमिक शिक्षा	
03 - अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना	
42 - अन्य व्यय	8448.06

	धनराशि
योग : 03	8448.06
योग : 202	8448.06
योग : 01	8448.06
योग : 4202	8448.06
योग : पूँजी लेखा	8448.06
योग : अनुपूरक	11470.81

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि की जमा धनराशि की वापसी हेतु रूपये 302275000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना हेतु रूपये 844806000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या **078**

सचिवालय प्रशासन विभाग

[वर्ष 2023-2024 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 1-11 तक देखिये]

(₹ लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	172455.47	500.20	172955.67
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	30000.00	...	30000.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	202455.47	500.20	202955.67
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

	धनराशि
राजस्व लेखा-------	
2013 - मंत्रि परिषद्	
105 - मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान	
03 - मुख्य मंत्री द्वारा विवेकाधीन अनुदान	
42 - अन्य व्यय	30000.00
योग : 03	30000.00
योग : 105	30000.00
योग : 2013	30000.00
योग : राजस्व लेखा	30000.00
योग : अनुपूरक	30000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है **:-**

1. मुख्यमंत्री विवेकाधीन अनुदान हेतु रूपये 3000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या **079**

समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा

वर्ग कल्याण)

[वर्ष 2023-2024 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 1-21 तक देखिये]

(₹ लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	372885.28	15210.14	388095.42
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	33215.00	1400.00	34615.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	406100.28	16610.14	422710.42
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

	धनराशि

राजस्व लेखा-------

2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गों का कल्याण

03 - पिछड़े वर्गों का कल्याण

001 - निदेशन तथा प्रशासन

03 - मुख्यालय/मंडलीय/जिला कार्यालय

49 - चिकित्सा व्यय 40.00

योग : 03 40.00

योग : 001 40.00

277 - शिक्षा

03 - अन्य पिछडे हुये जातियों के दशमोत्तर कक्षा में अध्ययन करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति

21 - छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन 30000.00

योग : 03 30000.00

05 - पिछड़ी जातियों के कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों को छात्र वृत्ति एवं अनावर्ती सहायता

0504 - पिछडे वर्ग के छात्र/ छात्राओं को अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के समान छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना

21 - छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन 3000.00

योग : 0504 3000.00

योग : 05 3000.00

06 - पिछडे वर्ग हेतु संचालित छात्रावासों का अनुरक्षण

	धनराशि
29 - अनुरक्षण	75.00
योग : 06	75.00
योग : 277	33075.00
योग : 03	33115.00
योग : 2225	33115.00

2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02 - समाज कल्याण

101 - विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

23 - उत्तर प्रदेश जगतगुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट

31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	100.00
योग : 23	100.00
योग : 101	100.00
योग : 02	100.00
योग : 2235	100.00
योग : राजस्व लेखा	33215.00

पूँजी लेखा-------

4235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

02 - समाज कल्याण

101 - विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

08 - शासकीय एवं जनपयोगी भवनों में दिव्यागजन हेतु बाधा रहित वातावरण का सृजन

24 - वृहत् निर्माण कार्य	400.00
योग : 08	400.00

16 - संकेत राजकीय मूक बधिर कालेज, गोरखपुर

24 - वृहत् निर्माण कार्य	200.00
योग : 16	200.00

17 - समेकित विशेष माध्यमिक विघालयों में स्टाफ हेतु आवास का निर्माण

24 - वृहत् निर्माण कार्य	400.00
योग : 17	400.00

35 - जनगगुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट

24 - वृहत् निर्माण कार्य	200.00

		धनराशि
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र		200.00
	योग : 35	400.00
	योग : 101	1400.00
	योग : 02	1400.00
	योग : 4235	1400.00
योग : पूँजी लेखा		1400.00
योग : अनुपूरक		34615.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है **:-**

1. पिछला वर्ग कल्याण निदेशालय के मुख्यालय, मंडलीय एवं जिला कार्यालयों के कर्मचारियों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 4000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. दशमोत्तर कक्षा अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 3000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. पिछड़ी जातियों के कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों के छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता हेतु रूपये 300000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. पिछड़े वर्ग हेतु संचालित छात्रावासों के अनुरक्षण योजनान्तर्गत रूपये 7500000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. उत्तर प्रदेश जगतगुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविघालय, चित्रकूट के कार्मिकों के वेतन भत्तों आदि हेतु रूपये 10000000 की आवश्यकता ।
6. 'सुगम्य भारत अभियान' फेज-2 के अन्तर्गत राजधानी-लखनऊ के चिन्हित भवनों को दिव्यांगजन हितैषी/बाधारहित बनाये जाने हेतु रूपये 40000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
7. संकेत राजकीय मूकबधिर विघालय, उत्तरी हुमायूंपुर, गोरखपुर के भवन निर्माण हेतु रूपये 20000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
8. समेकित माध्यमिक विघालयों में स्टाफ के लिये आवास के निर्माण हेतु रूपये 40000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
9. जगतगुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविघालय, चित्रकूट में छात्रावास-बालक एवं बालिका आवास एवं बाउंड्रीवाल के निर्माण कार्य तथा फर्नीचर, उपकरण इत्यादि के क्रय हेतु रूपये 40000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

(₹ लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	99829.77	79936.22	179765.99
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	20639.99	7646.35	28286.34
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	120469.76	87582.57	208052.33
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

	धनराशि

राजस्व लेखा-------

2202 - सामान्य शिक्षा

03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा

796 - जनजाति क्षेत्र उपयोजना

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

0121 - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत मैनेजमेन्ट मॉनीटरिंग इवैल्यूएशन एण्ड रिसर्च (के.100/रा.0-के.)

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 7.50

योग : 0121 7.50

योग : 01 7.50

योग : 796 7.50

योग : 03 7.50

योग : 2202 7.50

2403 - पशु पालन

796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

0109 - पशु चिकित सालयों / पशु सेवा केन द्रों का सुदृढीकरण (के.60/रा.40-के.)

15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद 105.00

		धनराशि
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र		16.00
39 - औषधि तथा रसायन		93.00
42 - अन्य व्यय		93.00
43 - सामग्री एवं सम्पूर्ति		12.00
58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान		293.00
	योग : 0109	612.00
	योग : 01	612.00
89 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश		
8909 - पशु चिकित्सालयों / पशु सेवा केन्द्रों का सुदृढीकरण		
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद		70.00
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र		11.00
39 - औषधि तथा रसायन		62.00
42 - अन्य व्यय		62.00
43 - सामग्री एवं सम्पूर्ति		8.00
58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान		195.00
	योग : 8909	408.00
	योग : 89	408.00
	योग : 796	1020.00
	योग : 2403	1020.00

2501 - ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम

01 - एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

796 - जनजातिय उप क्षेत्र योजना

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0101 - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (के.60/रा.40-के.)

27 - सब्सिडी		6639.93
	योग : 0101	6639.93
	योग : 01	6639.93

89 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश

8901 - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

	धनराशि
27 - सब्सिडी	4426.61
योग : 8901	4426.61
योग : 89	4426.61
योग : 796	11066.54
योग : 01	11066.54
योग : 2501	11066.54

2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

796 - जन जातीय क्षेत्र उपयोजना

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनायें

0103 - पं. दीनदयाल उपाध्‍ याय ग्रामीण कौशल योजना (के.60/रा.40-के.)

42 - अन्य व्यय	5127.57
योग : 0103	5127.57
योग : 01	5127.57

89 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश

8903 - पं. दीनदयाल उपाध्‍ याय ग्रामीण कौशल योजना

42 - अन्य व्यय	3418.38
योग : 8903	3418.38
योग : 89	3418.38
योग : 796	8545.95
योग : 2515	8545.95
योग : राजस्व लेखा	20639.99

पूँजी लेखा-------

4202 - शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

01 - सामान्य शिक्षा

796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0102 - राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का सुदृढीकरण (के.60/रा.40-के.)

25 - लघु निर्माण कार्य	11.07

	धनराशि
योग : 0102	11.07

0103 - जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण (के.60/रा.40-के.)

25 - लघु निर्माण कार्य	11.34
योग : 0103	11.34

0112 - पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना (के.60/रा.40-के.)

24 - वृहत् निर्माण कार्य	257.40
योग : 0112	257.40

0122 - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत लिंग समावेश एवं समानता पहल हेतु (के.60/रा.40-के.)

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	4.50
योग : 0122	4.50

0123 - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत विश्वविद्यालय बहुअनुशासनात्मक शिक्षा और अनुसंधान (के.60/रा.40-के.)

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	45.00
योग : 0123	45.00

0124 - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत मॉडल डिग्री कालेजों की स्थापना (के.60/रा.40-के.)

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	18.00
योग : 0124	18.00

0125 - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों को आधारभूत सुविधायें (के.60/रा.40-के.)

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	18.00
योग : 0125	18.00

0126 - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत राज्यविश्वविद्यालयों के लिये आधारभूत सुविधायें (के.60/रा.40-के.)

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	22.50
योग : 0126	22.50

	धनराशि
योग : 01	387.81

89 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश

8902 - राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का सुदृढीकरण

25 - लघु निर्माण कार्य	7.38
योग : 8902	7.38

8903 - जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण

25 - लघु निर्माण कार्य	7.56
योग : 8903	7.56

8912 - पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना

24 - वृहत् निर्माण कार्य	171.60
योग : 8912	171.60

8922 - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत मैनेजमेन्ट मॉनीटरिंग ईवैल्यूएशन एण्ड रिसर्च

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	3.00
योग : 8922	3.00

8923 - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत विश्वविद्यालय बहुअनुशासनात्मक शिक्षा और अनुसंधान

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	30.00
योग : 8923	30.00

8924 - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत मॉडल डिग्री कालेजों की स्थापना

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	12.00
योग : 8924	12.00

8925 - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों को आधारभूत सुविधायें

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	12.00
योग : 8925	12.00

8926 - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत राज्यविश्वविद्यालयों के लिये आधारभूत सुविधायें

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	15.00

	धनराशि
योग : 8926	15.00
योग : 89	258.54
योग : 796	646.35
योग : 01	646.35
योग : 4202	646.35

4215 - जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय

01 - जलपूर्ति

796 - जनजातीय क्षेत्र उप योजना

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0101 - जल जीवन मिशन (के.50/रा.50-के.)

24 -	वृहत् निर्माण कार्य	7000.00
	योग : 0101	7000.00
	योग : 01	7000.00
	योग : 796	7000.00
	योग : 01	7000.00
	योग : 4215	7000.00
	योग : पूँजी लेखा	7646.35
	योग : अनुपूरक	28286.34

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है **:-**

1. प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पी.एम-यू.एस.एच.ए.) योजनान्तर्गत विभिन्न योजनाओं हेतु राजस्व मद में रूपये 7.50 लाख एवं पूंजीगत मद में रूपये 180.00 लाख अर्थात कुल रूपये 18750000 की आवश्यकता ।
2. पशु चिकित्सालयो/पशु सेवा केन्द्रों के केन्द्रांश हेतु रूपये 612.00 लाख तथा राज्यांश हेतु रूपये 408.00 लाख अर्थात् कुल रूपये 102000000 की आवश्यकता ।
3. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए केन्द्रांश हेतु रूपये 6639.93 लाख तथा राज्यांश हेतु रूपये 4426.61 लाख अर्थात कुल रूपये 1106654000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के क्रियान्वयन के लिए केन्द्रांश हेतु रूपये 5127.57 लाख तथा राज्यांश हेतु रूपये 3418.38 लाख अर्थात् कुल रूपये 854595000 की आवश्यकता ।
5. राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का सुदृढीकरण हेतु केन्द्रांश मद में रूपये 11.07 लाख तथा राज्यांश मद में रूपये 7.38 लाख अर्थात कुल रूपये 1845000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

6. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण के लिये केन्द्रांश मद में रूपये 11.34 लाख एवं राज्यांश मद में रूपये 7.56 लाख अर्थात कुल रूपये 1890000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
7. पी.एम. श्री योजना के क्रियान्वयन के लिए केन्द्रांश हेतु रूपये 257.40 लाख तथा राज्यांश हेतु रूपये 171.60 लाख अर्थात् कुल रूपये 42900000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
8. जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों के ग्रमीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्य हेतु रूपये 700000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

[वर्ष 2023-2024 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 1-7 तक देखिये]

(₹ लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	7786.85	115.50	7902.35
	भारित	1286.30	26.00	1312.30
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	250.99	...	250.99
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	8037.84	115.50	8153.34
	भारित	1286.30	26.00	1312.30

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

		धनराशि
राजस्व लेखा-------		
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवायें		
104 - सतर्कता		
03 - सतर्कता आयोग एंव प्रशासनिक न्यायाधिकरण		
01 - वेतन		47.00
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय		18.00
49 - चिकित्सा व्यय		9.00
	योग : 03	74.00
04 - सतर्कता निदेशालय		
14 - मोटर गाड़ियों का क्रय		101.49
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय		60.00
58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान		15.50
	योग : 04	176.99
	योग : 104	250.99
	योग : 2070	250.99
	योग : राजस्व लेखा	250.99
	योग : अनुपूरक	250.99

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है **:-**

1. सतर्कता आयोग एवं प्रशासनाधिकरण के लिये अधिष्ठान व्यय हेतु रूपये 74.00 लाख तथा सतर्कता निदेशालय हेतु विभिन्न मानक मदों में व्यय हेतु रूपये 176.99 लाख अर्थात कुल रूपये 25099000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या **083**

समाज कल्याण विभाग**(**अनुसूचित जातियों के लिये विशेष

घटक योजना**)**

[वर्ष 2023-2024 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 1-82 तक देखिये]

(₹लाख में **)**

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	1751986.59	1310686.71	3062673.30
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	61235.79	143055.40	204291.19
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1813222.38	1453742.11	3266964.49
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में **)**

	धनराशि
राजस्व लेखा-------	
2202 - सामान्य शिक्षा	
01 - प्रारम्भिक शिक्षा	
789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
07 - पी.एम. पोषण योजनान्तर्गत रसोइयॉ मानदेय हेतु अतिरिक्त (टॉप-अप) राज्यांश	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	3600.00
योग : 07	3600.00
योग : 789	3600.00
योग : 01	3600.00
03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चत्तर शिक्षा	
789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	
0121 - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत मैनेजमेन्ट मॉनीटरिंग ईवैल्यूएशन एण्ड रिसर्च (के.100/रा.0-के.)	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	15.00
योग : 0121	15.00

	धनराशि
योग : 01	15.00
योग : 789	15.00
योग : 03	15.00
योग : 2202	3615.00

2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

05 - चिकित्सा शिक्षा - प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

03 - शिक्षा

0306 - राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज

58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान 67.92

योग : 0306	67.92
योग : 03	67.92
योग : 789	67.92
योग : 05	67.92
योग : 2210	67.92

2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

01 - अनुसूचित जातियों का कल्याण

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

09 - राजकीय छात्रावासों / राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का अनुरक्षण

29 - अनुरक्षण 1050.00

योग : 09	1050.00
योग : 789	1050.00
योग : 01	1050.00
योग : 2225	1050.00

2403 - पशु पालन

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0114 - पशु चिकित सालयों / पशु सेवा केन द्रों का सुदृढीकरण (के.60/रा.40-के.)

15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद 210.64

		धनराशि
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र		30.34
39 - औषधि तथा रसायन		187.33
42 - अन्य व्यय		187.33
43 - सामग्री एवं सम्पूर्ति		23.32
58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान		585.03
	योग : 0114	1223.99
	योग : 01	1223.99
89 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश		
8914 - पशु चिकित्सालयों / पशु सेवा केन्द्रों का सुदृढीकरण		
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद		140.43
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र		20.23
39 - औषधि तथा रसायन		124.89
42 - अन्य व्यय		124.89
43 - सामग्री एवं सम्पूर्ति		15.54
58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान		390.01
	योग : 8914	815.99
	योग : 89	815.99
	योग : 789	2039.98
	योग : 2403	2039.98

2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0103 - स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालय का निर्माण (जिला योजना) (के.60/रा.40-के.)

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)		32677.73
	योग : 0103	32677.73
	योग : 01	32677.73
89 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश		
8903 - स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालय का निर्माण (जिला योजना)		
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)		21785.16

	धनराशि
योग : 8903	21785.16
योग : 89	21785.16
योग : 789	54462.89
योग : 2515	54462.89
योग : राजस्व लेखा	61235.79

पूँजी लेखा-------

4202 - शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

01 - सामान्य शिक्षा

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0101 - जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण (के.60/रा.40-के.)

25 - लघु निर्माण कार्य	306.20
योग : 0101	306.20

0102 - राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का सुदृढ़ीकरण (के.60/रा.40-के.)

25 - लघु निर्माण कार्य	298.89
योग : 0102	298.89

0104 - समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विघालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास (के.60/रा.40-के.)

24 - वृहत् निर्माण कार्य	14000.00
योग : 0104	14000.00

0112 - पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना (के.60/रा.40-के.)

24 - वृहत् निर्माण कार्य	8515.24
योग : 0112	8515.24

0122 - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत लिंग समावेश एवं समानता पहल हेतु (के.60/रा.40-के.)

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	9.00
योग : 0122	9.00

	धनराशि
0123 - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत विश्वविद्यालय बहुअनुशासनात्मक शिक्षा और अनुसंधान (के.60/रा.40-के.)	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	90.00
योग : 0123	90.00
0124 - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत मॉडल डिग्री कालेजों की स्थापना (के.60/रा.40-के.)	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	36.00
योग : 0124	36.00
0125 - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों को आधारभूत सुविधायें (के.60/रा.40-के.)	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	36.00
योग : 0125	36.00
0126 - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत राज्यविश्वविद्यालयों के लिये आधारभूत सुविधायें (के.60/रा.40-के.)	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	45.00
योग : 0126	45.00
योग : 01	23336.33
89 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	
8901 - जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण	
25 - लघु निर्माण कार्य	204.14
योग : 8901	204.14
8902 - राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का सुदृढीकरण	
25 - लघु निर्माण कार्य	199.26
योग : 8902	199.26
8904 - समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	9333.33
योग : 8904	9333.33

	धनराशि
8912 - पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	5676.84
योग : 8912	5676.84
8922 - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत लिंग समावेश एवं समानता पहल हेतु	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	6.00
योग : 8922	6.00
8923 - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत विश्वविद्यालय बहुअनुशासनात्मक शिक्षा और अनुसंधान	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	60.00
योग : 8923	60.00
8924 - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत मॉडल डिग्री कालेजों की स्थापना	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	24.00
योग : 8924	24.00
8925 - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों को आधारभूत सुविधायें	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	24.00
योग : 8925	24.00
8926 - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत राज्यविश्वविद्यालयों के लिये आधारभूत सुविधायें	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	30.00
योग : 8926	30.00
योग : 89	15557.57
योग : 789	38893.90
योग : 01	38893.90
योग : 4202	38893.90

4215 - जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय

01 - जलपूर्ति

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

	धनराशि
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	
0101 - जल जीवन मिशन (के.50/रा.50-के.)	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	70000.00
योग : 0101	70000.00
योग : 01	70000.00
योग : 789	70000.00
योग : 01	70000.00
योग : 4215	70000.00

4575 - अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय

02 - पिछड़े क्षेत्र

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

03 - पूर्वांचल की विशेष योजनायें

24 - वृहत् निर्माण कार्य	17500.00
योग : 03	17500.00
04 - बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	5000.00
योग : 04	5000.00
योग : 789	22500.00
योग : 02	22500.00
योग : 4575	22500.00

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

03 - राज्य राजमार्ग

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

05 - राज्य प्रमुख / अन्य जिला मार्गों के नये कार्यों हेतु व्यवस्था

24 - वृहत् निर्माण कार्य	10600.00
योग : 05	10600.00
योग : 789	10600.00
योग : 03	10600.00

04 - जिला तथा अन्य सड़कें

		धनराशि
789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		
04 - सेतु निर्माण		
0405 - शहरी क्षेत्रों में सेतुओं का निर्माण (नये कार्य)		
24 - वृहत् निर्माण कार्य		1060.50
	योग : 0405	1060.50
0406 - शहरी क्षेत्रों में सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य)		
24 - वृहत् निर्माण कार्य		1.00
	योग : 0406	1.00
	योग : 04	1061.50
	योग : 789	1061.50
	योग : 04	1061.50
	योग : 5054	11661.50
योग : पूँजी लेखा		143055.40
योग : अनुपूरक		204291.19

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. पी.एम. पोषण योजनान्तर्गत रसोइया मानदेय अतिरिक त (टपअप) राज्यांश हेतु रूपये 360000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं हेतु राजस्व पक्ष में 15.00 लाख तथा पूंजीगत पक्ष में 360.00 लाख अर्थात कुल रूपये 37500000 की आवश्यकता ।
3. राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, अलीगढ एवं गोरखपुर में आउटसोर्सिंग कार्मिकों के लंबित पारिश्रमिक के भुगतान हेतु रूपये 6792000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों/राजकीय आश्रम पद्धति विघालयों के अनुरक्षण हेतु रूपये 105000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. पशु चिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों के केन्द्रांश हेतु रूपये 1223.99 लाख तथा राज्यांश हेतु रूपये 815.99 लाख अर्थात् कुल रूपये 203998000 की आवश्यकता ।
6. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत स्वच्छ शौचालयों के निर्माण के लिए केन्द्रांश हेतु रूपये 32677.73 लाख एवं राज्यांश हेतु रूपये 21785.16 लाख अर्थात कुल रूपये 5446289000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
7. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण के लिये केन्द्रांश मद में रूपये 306.20 लाख एवं राज्यांश मद में रूपये 204.14 लाख अर्थात कुल रूपये 51034000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
8. राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का सुदृढीकरण के लिए केन्द्रांश मद में रूपये 298.89 लाख तथा राज्यांश मद में रूपये 199.26 लाख अर्थात कुल रूपये 49815000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
9. समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विघालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रांश की धनराशि रूपये 14000.00 लाख एवं राज्यांश की धनराशि रूपये 9333.33 लाख अर्थात कुल धनराशि रूपये 2333333000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
10. पी.एम.श्री योजना के अन्तर्गत केन्द्रांश हेतु रूपये 8515.25 लाख तथा राज्यांश हेतु रूपये 5676.84 लाख अर्थात कुल रूपये 1419208000 की अतिरिक्त

आवश्यकता ।

11. जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजना के निर्माण कार्य हेतु 7000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
12. प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र मे स्थित जनपदों में क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं के वित्त पोषण के लिए क्षेत्रीय विकास निधि (पूर्वांचल) हेतु रूपये 1750000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
13. प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र मे स्थित जनपदों में क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं को वित्त पोषण के लिए क्षेत्रीय विकास निधि (बुन्देलखण्ड) हेतु रूपये 500000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
14. राज्य प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के नये कार्यों हेतु रूपये 1060000000 की आवश्यकता ।
15. शहरी क्षेत्रों में सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों हेतु रूपये 106050000 की आवश्यकता ।
16. शहरी क्षेत्रों में सेतुओं के निर्माण के चालू कार्यों हेतु रूपये 100000 की व्यवस्था । आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान के अन्तर्गत सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी ।

अनुदान संख्या **084**

सामान्य प्रशासन विभाग

[वर्ष 2023-2024 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 1-7 तक देखिये]

(₹ लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	9529.94	77519.00	87048.94
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	102.00	1006.70	1108.70
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	9631.94	78525.70	88157.64
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

	धनराशि

राजस्व लेखा-------

2053 - जिला प्रशासन

093 - जिला स्थापनाएं

03 - कलेक्टरी स्थापनाएं

22 - आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि 100.00

योग : 03 100.00

योग : 093 100.00

योग : 2053 100.00

2250 - अन्य सामाजिक सेवायें

101 - धमार्थ प्रायोजनों के लिए दान

12 - प्रदेश के सिख समाज के पंच तख्त यात्रियों के लिये अनुदान

42 - अन्य व्यय 1.00

योग : 12 1.00

13 - प्रदेश के निवासियों के लिये बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा हेतु अनुदान

42 - अन्य व्यय 1.00

योग : 13 1.00

योग : 101 2.00

योग : 2250 2.00

	धनराशि
योग : राजस्व लेखा	102.00

पूँजी लेखा-------

4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

800 - अन्य व्यय

12 - जनोपयोगी संरक्षित मन्दिरों का जीर्णोद्धार/पुनर्निर्माण

24 - वृहत् निर्माण कार्य	405.70
योग : 12	405.70

13 - उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक भूमि पर स्थित 100 वर्ष से अधिक पुराने मंदिर/मठ/धर्मशाला/ कुण्ड / तीर्थ स्थल का इत्यादि का जीर्णोद्धार / मरम्मत तथा भजन संध्या स्थल / सत्संग स्थल इत्यादि का निर्माण

24 - वृहत् निर्माण कार्य	600.00
योग : 13	600.00

14 - जनपद बस्ती में श्रीराम जन्मभूमि से प्रभु श्रीराम पुत्रेष्टि यज्ञ स्थली तथा चौरासी कौसी परिक्रमा प्रारम्भ स्थल यज्ञ भूमि मखौड़ा धाम तक श्रीराम अवतरण कॉरीडोर का निर्माण कार्य

24 - वृहत् निर्माण कार्य	1.00
योग : 14	1.00
योग : 800	1006.70
योग : 4250	1006.70
योग : पूँजी लेखा	1006.70
योग : अनुपूरक	1108.70

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. प्रदेश में पधारने वाले राज्य अतिथियों के सेवा-सत्कार से सम्बन्धित देयको के व्यय हेतु रूपये 10000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. उ.प्र. के सिख समुदाय के मूल निवासियों के लिए पंच तख्त यात्रा हेतु रूपये 100000 की प्रतीक व्यवस्था | आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान के अन्तर्गत सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी ।
3. उ.प्र. के निवासियों के लिये बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिये अनुदान दिये जाने हेतु रूपये 100000 की प्रतीक व्यवस्था | आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान के अन्तर्गत सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी ।
4. जनउपयोगी संरक्षित मंदिरों के जीर्णोद्धार/पुनर्निर्माण हेतु रूपये 40570000 की आवश्यकता ।
5. उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक भूमि पर स्थित 100 वर्ष से अधिक पुराने मंदिर/मठ/धर्मशाला/कुंड/तीर्थ स्थल इत्यादि के जीर्णोद्धार हेतु रूपये 60000000 की आवश्यकता ।
6. जनपद बस्ती में श्रीराम जन्मभूमि से प्रभु श्रीराम पुत्रोष्टि यज्ञ स्थली तथा चौरासी कोसी परिक्रमा प्रारम्भ स्थल यज्ञ भूमि मखौड़ा धाम तक श्रीराम अवतरण कॉरीडोर के निर्माण कार्य हेतु रूपये 100000 की प्रतीक व्यवस्था | आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान के अन्तर्गत सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी ।

(₹ लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	934.96	...	934.96
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	20.00	20.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	934.96	20.00	954.96
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

	धनराशि
पूँजी लेखा-------	
4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
800 - अन्य व्यय	
03 - सार्वजनिक उद्यम निदेशालय	
14 - मोटर गाड़ियों का क्रय	20.00
योग : 03	20.00
योग : 800	20.00
योग : 4070	20.00
योग : पूँजी लेखा	20.00
योग : अनुपूरक	20.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है **:-**

1. सार्वजनिक उद्यम निदेशालय के निष्प्रयोज्य वाहन के प्रतिस्थापन हेतु रूपये 2000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

(₹ लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	97153.14	1650.00	98803.14
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	49659.00	...	49659.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	146812.14	1650.00	148462.14
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

		धनराशि
राजस्व लेखा-------		
2220 - सूचना तथा प्रचार		
60 - अन्य		
001 - निदेशन तथा प्रशासन		
03 - अधिष्ठान व्यय		
08 - कार्यालय व्यय		25.00
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई		25.00
22 - आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि		2000.00
29 - अनुरक्षण		20.00
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय		50.00
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय		50.00
	योग : 03	2170.00
	योग : 001	2170.00
101 - विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार		
05 - अधिष्ठान		
19 - विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय		36662.30
	योग : 05	36662.30
	योग : 101	36662.30
102 - सूचना केन्द्र		
03 - सूचना केन्द्र का अधिष्ठान		

		धनराशि
17 - किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व		26.70
42 - अन्य व्यय		200.00
	योग : 03	226.70
	योग : 102	226.70
110 - प्रकाशन		
03 - अधिष्ठान		
18 - प्रकाशन		10600.00
	योग : 03	10600.00
	योग : 110	10600.00
	योग : 60	49659.00
	योग : 2220	49659.00
	योग : राजस्व लेखा	49659.00
	योग : अनुपूरक	49659.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है **:-**

1. सूचना तथा प्रचार हेतु विभिन्न मानक मदों में रूपये 4965900000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

(₹ लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	124838.55	4275.58	129114.13
	भारित	10.50	...	10.50
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	352.00	4.00	356.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	125190.55	4279.58	129470.13
	भारित	10.50	...	10.50

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

	धनराशि
राजस्व लेखा-------	
2040 - विक्री,व्यापार आदि पर कर	
800 - अन्य व्यय	
04 - वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान-	
52 - पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	352.00
योग : 04	352.00
योग : 800	352.00
योग : 2040	352.00
योग : राजस्व लेखा	352.00
पूँजी लेखा-------	
4216 - आवास पर पूंजीगत परिव्यय	
01 - सरकारी रिहायशी भवन	
700 - अन्य आवास	
03 - जनपद आयोध्या राज्य कर कार्यालय भवन के परिसर में ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	1.00
योग : 03	1.00
04 - जनपद श्रावस्ती में राज्य कर आवासीय निर्माण हेतु	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	1.00

	धनराशि
योग : 04	1.00
05 - जनपद बाराबंकी में राज्य कर कार्यालय भवन के परिसर में ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	1.00
योग : 05	1.00
06 - जनपद हरदोई में राज्य कर कार्यालय भवन के परिसर में उपलब्ध भूमि पर कर्मचारी / अधिकारी आवासों का निर्माण	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	1.00
योग : 06	1.00
योग : 700	4.00
योग : 01	4.00
योग : 4216	4.00
योग : पूँजी लेखा	4.00
योग : अनुपूरक	356.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की संस्तुतियों के फलस्वरूप वाणिज्य कर अधिकरण के अधिकारियों के पुनरीक्षित वेतन के अवशेष हेतु रूपये 35200000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. जनपद अयोध्या में राज्य कर कार्यालय भवन के परिसर में ट्रांजिट हॉस्टल के निर्माण हेतु रूपये 100000 की व्यवस्था | आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान के अन्तर्गत सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी ।
3. जनपद श्रावस्ती में राज्य कर विभाग के आवासीय निर्माण हेतु रूपये 100000 की व्यवस्था | आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान के अन्तर्गत सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी ।
4. जनपद बाराबंकी में राज्य कर कार्यालय भवन के परिसर में ट्रांजिट हॉस्टल के निर्माण हेतु रूपये 100000 की व्यवस्था | आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान के अन्तर्गत सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी ।
5. जनपद हरदोई में राज्य कर कार्यालय भवन के परिसर में उपलब्ध भूमि पर कर्मचारी/अधिकारी आवासों के निर्माण हेतु रूपये 100000 की व्यवस्था | आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान के अन्तर्गत सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी ।

(₹ लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	54473.63	7100.00	61573.63
	भारित	0.02	...	0.02
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	3500.00	...	3500.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	57973.63	7100.00	65073.63
	भारित	0.02	...	0.02

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

	धनराशि
राजस्व लेखा-------	
2030 - स्टाम्प पंजीकरण	
02 - स्टाम्प-न्यायिकेतर	
102 - स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय	
03 - गैर अदालती स्टाम्प-	
42 - अन्य व्यय	3500.00
योग : 03	3500.00
योग : 102	3500.00
योग : 02	3500.00
योग : 2030	3500.00
योग : राजस्व लेखा	3500.00
योग : अनुपूरक	3500.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है **:-**

1. स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन प्रा.लि. को ई-स्टाम्प के विक्रय हेतु कमीशन के भुगतान हेतु रुपये 350000000 की आवश्यकता ।

(₹ लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	12972.89	27702.71	40675.60
	भारित	0.60	...	0.60
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	11287.19	3000.00	14287.19
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	24260.08	30702.71	54962.79
	भारित	0.60	...	0.60

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

	धनराशि

राजस्व लेखा-------

2205 - कला एवं संस्कृति

101 - ललित कला शिक्षा

26 - सूर्यकान्त त्रिपाठी "निराला" स्मृति पुस्तकालय एवं सभागार का रख-रखाव एवं संचालन

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 50.00

योग : 26 50.00

27 - अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 500.00

योग : 27 500.00

योग : 101 550.00

104 - अभिलेखागार

03 - राज्य अभिलेख--

42 - अन्य व्यय 20.00

योग : 03 20.00

योग : 104 20.00

800 - अन्य व्यय

03 - भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ के दिनांक 18.04.2001 के पूर्व के कार्मिकों के सेवानिवृत्तिक देयों हेतु पेंशनरी अंशदान

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 417.19

	धनराशि
योग : 03	417.19
20 - उत्तर प्रदेश दिवस	
42 - अन्य व्यय	100.00
योग : 20	100.00
21 - रामोत्सव, अयोध्या 2023-24	
42 - अन्य व्यय	10000.00
योग : 21	10000.00
24 - एक भारत श्रेष्ठ भारत	
42 - अन्य व्यय	200.00
योग : 24	200.00
योग : 800	10717.19
योग : 2205	11287.19
योग : राजस्व लेखा	11287.19

पूँजी लेखा-------

4202 - शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

04 - कला तथा संस्कृति

800 - अन्य व्यय

54 - अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या

24 - वृहत् निर्माण कार्य 2000.00

योग : 54 2000.00

55 - भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ परिसर के अनुरक्षण एवं संरक्षण संबंधी कार्य

24 - वृहत् निर्माण कार्य 1000.00

योग : 55 1000.00

योग : 800 3000.00

योग : 04 3000.00

योग : 4202 3000.00

योग : पूँजी लेखा 3000.00

योग : अनुपूरक 14287.19

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. सूर्यकान्त त्रिपाठी "निराला" स्मृति पुस्तकालय एवं सभागार का रख-रखाव एवं संचालन हेतु रूपये 5000000 की आवश्यकता ।

2. अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान, अयोध्या हेतु रूपये 50000000 की आवश्यकता ।
3. उ.प्र. राजकीय अभिलेखागार में अभिलेखों के संरक्षण एवं डिजिटाइजेशन हेतु रूपये 2000000 की आवश्यकता ।
4. भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ के दिनांक 18 अप्रैल, 2001 के पूर्व के कार्मिकों के देयों के लिये पेंशनरी अंशदान हेतु रूपये 41719000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. उत्तर प्रदेश दिवस के आयोजन हेतु रूपये 10000000 की आवश्यकता ।
6. रामोत्सव, अयोध्या 2023-24 के लिये रूपये 1000000000 की आवश्यकता ।
7. एक भारत श्रेष्ठ भारत के उद्देश्य से विभिन्न प्रदेशों के स्थापना दिवसों को समारोह पूर्वक मनाये जाने हेतु रूपये 20000000 की आवश्यकता ।
8. अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान, अयोध्या के विकास एवं विस्तार हेतु रूपये 200000000 की आवश्यकता ।
9. भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ परिसर के अनुरक्षण एवं संरक्षण हेतु रूपये 100000000 की आवश्यकता ।

(₹ लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	121276.18	1676517.90	1797794.08
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	3000.00	20000.00	23000.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	124276.18	1696517.90	1820794.08
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

	धनराशि
राजस्व लेखा-------	
2215 - जल पूर्ति तथा सफाई	
02 - मल-जल तथा सफाई	
107 - मल - जल सेवाएं	
89 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	
8901 - नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथारिटी के अन्तर्गत संचालित परियोजनाए	
35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	3000.00
योग : 8901	3000.00
योग : 89	3000.00
योग : 107	3000.00
योग : 02	3000.00
योग : 2215	3000.00
योग : राजस्व लेखा	3000.00
पूँजी लेखा-------	
4215 - जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	
01 - जलपूर्ति	
102 - ग्रामीण जल पूर्ति	

		धनराशि
02 - जल जीवन मिशन		
0201 - जल जीवन मिशन (के0 50/रा0 50-रा0)		
29 - अनुरक्षण		20000.00
	योग : 0201	20000.00
	योग : 02	20000.00
	योग : 102	20000.00
	योग : 01	20000.00
	योग : 4215	20000.00
योग : पूँजी लेखा		20000.00
योग : अनुपूरक		23000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं के संचालन हेतु रूपये 300000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु रूपये 2000000000 की आवश्यकता ।